

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1179/2024

**In the matter of:**

**Hariyali Welfare Society**

...Applicant

Versus

**Union of India & Ors.**

...Respondent(s)

**INDEX**

Sr. No.	PARTICULARS	Page No.
1.	Reply on behalf of CPCB, Respondent No. 2 in compliance to Hon'ble NGT Order dated 23.09.2024 in O.A. 1179 of 2024	
2.	ANNEXURE-I Copy of Hon'ble NGT order dated 23.09.2024 & 16.1.25 in O.A. 1179 of 2024.	
3.	ANNEXURE-II, Copy of Plastic Waste Management Rules, 2016 dated 18.3.16 published by the MoEF&CC.	
4.	ANNEXURE-III, Copy of the IV Amendment dated 16.2.22 to PWM Rules	
5.	ANNEXURE-IV, Copy of OM dated 3.2.23 issued by MoEFCC	
6.	ANNEXURE V: Copy of Updated FAQ of EPR Plastic Portal	

*Satif*

**Filed by: Adv. Atif Suhrawardy**

**On behalf of Central Pollution Control Board**

**Place: Delhi**

**Date: 28.04.2025**



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1179/2024

**In the matter of:**

**Hariyali Welfare Society**

...Applicant

Versus

**Union of India & Ors.**

...Respondent(s)

**SHORT REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2,  
THE CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD (CPCB)**

1. That the present reply is being filed by the CPCB in compliance with the order dated 23.09.2024 & 16.1.25 passed by this Hon'ble Tribunal in the present O.A.1179 of 2024.
2. That at the very outset, the answering Respondent denies all claims, contentions, allegations, and averments against answering respondent CPCB in the above Original Application (OA) contrary to anything stated or submitted in this reply. Nothing in the OA may be deemed to have been accepted or admitted by the answering Respondent for want of a specific denial, save and except any averment which has been expressly admitted hereinafter.
3. That, CPCB is a statutory Board constituted under Section 3 of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. It performs the functions under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, The Air



(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and The Environment (Protection) Act, 1986.

**REPLY:**

4. That under averments made in the Original Application No. 1179 of 2024, Hariyali Welfare Society V/s Union of India & Ors., the applicant has raised the grievance against the Frequently Asked Question (FAQ) published by CPCB which according to the applicant is not in accordance with sub-rule 2 of Rule 9 of Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016. The Hon'ble NGT in its order dated 23.09.2024 has issued the following directions which are as follows:

*"Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. Applicant is also directed to file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing...."*

It is humbly submitted that further, Hon'ble NGT in its order dated 16.01.2025 has issued the following directions:

*"Learned Counsel for the Respondent No. 2 seeks a week's time to file the Reply. It will be open to the Applicant to file rejoinder within two weeks thereafter."*

Copy of the above NGT Orders is placed at **Annexure I**

5. It is humbly submitted that as per Rule 3(n) of PWM Rules, 2016 (as amended),

*"multilayered packaging" means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main*



*ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, Aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure”.*

Copy of PWM Rules is placed at **Annexure II**

6. It is humbly submitted that as per following are the provisions of Rule 9(1) and 9(2) of PWM Rules:

*Rule 9(1) The Producers, Importers and Brand Owners who introduce any plastic packaging in the market shall be responsible for collection of such plastic packaging.*

*Rule 9(2) Where any Producer, Importer or Brand owner fulfils his extended producer responsibility, he is deemed to have complied with his responsibility under sub-rule (1).*

7. It is respectfully submitted that Guidelines on Extended Producer Responsibility (EPR) for Plastic Packaging has been notified in the Schedule II of PWM Rules, 2016 published by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India, in its fourth amendment to the Plastic Waste Management Rules, dated February 16, 2022. A true copy of the Plastic Waste Management Rules, 2016 dated February 16, 2022, is annexed herewith as **ANNEXURE - III**.

8. It is humbly submitted that as per Section 4 of the notified EPR Guidelines. :  
The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations and provisions of these guidelines namely: -



- (i) Producer (P) of plastic packaging;
- (ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products;
- (iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.;
- (iv) Plastic Waste Processors

8. It is humbly submitted that as per Section 5.1 of the EPR Guidelines, the following plastic packaging categories are covered under Extended Producer Responsibility:

(i) Category I Rigid plastic packaging;


(ii) Category II Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags, plastic sachet or pouches;

(iii) Category III [Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic)];

(iv) Category IV Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags made of compostable plastics.

(v) Category V: Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags and commodities made of biodegradable plastics Category V

9. It is respectfully submitted that the CPCB has developed the Centralized EPR Portal for Plastic Packaging <https://eprplastic.cpcb.gov.in> under provisions of the notified EPR Guideline.



10. It is humbly submitted that the CPCB has also prepared the Frequently Asked Questions (FAQ) assisting entities in addressing common concerns.

11. It is respectfully submitted that as per Office Memorandum dated 03-02-2023 published by MoEF&CC, "EPR target is on a weight basis, while registering for EPR of multi-layered plastic packaging, in which plastic sheet or like, is a part, the complete weight of multi-layered plastic packaging will be covered under EPR". A true copy of the Office Memorandum dated 03-02-2023 is herewith annexed and referred to as **ANNEXURE-IV**.

12. CPCB has updated the FAQ uploaded on the EPR portal regarding the concerned question no. 21 in the matter, as per clarification provided by MoEFCC in its OM dated 03.02.2023, wherein PIBOs are required to fulfill their EPR obligations as per the complete weight of multi-layered packaging on the EPR portal. The copy of updated FAQ is attached as **Annexure V**.

13. That, the answering respondent craves leave of the Hon'ble Tribunal to file an additional reply, if required, in the future.

14. That in the light of the above submissions, it is respectfully submitted that this Answering Respondent, i.e., the CPCB, shall abide by any order(s) or direction(s) passed by this Hon'ble Court in the instant OA.



*Divya*  
Divya Sinha  
Scientist 'F'

Central Pollution Control Board

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1179/2024

**In the matter of:**

**Hariyali Welfare Society**

...Applicant

Versus


**Union of India & Ors.**

...Respondent(s)

**AFFIDAVIT**

I, Divya Sinha, working as Scientist 'F' in Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi, the Respondent No. 1 in the above matter, do hereby solemnly affirm, declare on oath and state as under :-

1. That I, the deponent herein is authorized representative to represent the Respondent CPCB in the present case, and as such, I am well conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the information derived from the official records, and hence, I am competent and authorized to verify, sign and swear this affidavit on behalf of the Respondent CPCB.
2. That the accompanying short reply may be read part and parcel of the present affidavit.
3. That the accompanying short reply has been drafted and filed under my instructions and authority the contents thereof are true and correct on the basis of the record maintained during ordinary course of business of CPCB



and available records and documents and the contents of the same are read over and explained to me and are not repeated herein for the sake of brevity.

*Divy*

**DEPONENT**

दिव्या सिन्हा / Divya Sinha  
वैज्ञानिक 'एफ' / Scientist 'F'  
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Central Pollution Control Board  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Mo Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)  
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032  
Parvesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

**VERIFICATION**

**28 APR 2025**

Verified at Delhi on this day of \_\_\_\_\_ 2025 that the contents of the above reply are correct and true on the basis of the records of the case as mentioned in the day-to-day affairs of the CPCB. Nothing has been concealed therefrom or mis-stated.



**ATTESTED**

**NOTARY  
DELHI (INDIA)**

**28 APR 2025**

*Divy*

**DEPONENT**

दिव्या सिन्हा / Divya Sinha  
वैज्ञानिक 'एफ' / Scientist 'F'  
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Central Pollution Control Board  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Mo Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)  
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032  
Parvesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

Item No.07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.1179/2024

Hariyali Welfare Society

Applicant

Versus

Union of India &amp;Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 23.09.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Ritwick Dutta, Adv. for Applicant (Through VC)

**ORDER**

1. In this original application, applicant has raised the grievance against the following Frequently Asked Question(FAQ) issued for the purpose of EPR relating to multi-layered packaging:

*“17. That the FAQ states that for the purposes of EPR, only the weight of plastic layer in the multi-layered packaging is to be considered:*

*“21. What material is to be considered for EPR in case of MLP (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic)?*

*Weight of the plastic layer is to be considered for EPR in case of MLP (Category-III).”*

2. Submission of Counsel for the applicant is that aforesaid FAQ runs counter to Sub-Rule 2 of Rule 9 of Plastic Waste Management Rules, 2016 which reads as under:

*“9. Responsibility of producers, Importers and Brand Owners.-  
(1)xxxxxx*

*(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.”*

3. Counsel for the applicant has submitted that in terms of the aforesaid rule, the primary responsibility of the producer of multi-layered plastic sachet, pouch etc., is to collect back the plastic waste generated due to their product, therefore, producer of the multi-layered plastic packaging by discharging the EPR is required to collect back the same category of multi-layered pouch or packaging material which it has produced and obligation is not discharged merely by collecting back the virgin plastic.

4. To elaborate on his point, he has referred to Rule 3 (h) of Rules, 2016 which defines the extended producer’s responsibility as under:

*“3... (h) “extended producer’s responsibility” means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life.”*

5. Counsel for the applicant has also referred to Rule 3 (o) of the Rules of 2015 which defines multi-layered packaging as under:-

*“3...o. “multi-layered packaging” means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalized layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure.”*

6. Submission of the Counsel for the applicant is that FAQ 21 under challenge in this original application runs counter to Rule 9(2) of Rules 2016 and on account of the impugned FAQ, the object of collecting back 100% multi-layered packaging is defeated.

7. The original application raises substantial issues relating to compliance of environmental norms.

8. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. Applicant is also directed to file an affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

9. List on 16.01.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 23, 2024  
OriginalApplication No.1179/2024  
JG..

Item No. 13

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1179/2024

Hariyali Welfare Society

Applicant

Versus

Union Of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 16.01.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Ritwick Dutta & Ms. Itisha Awasthi, Advs.

Respondents: Ms. Nidhi Jaswal, Adv. for MoEF&CC (Through VC)  
Mr. Syed Mehdi Imam, proxy counsel for Mr. Atif Suhrawardy, Adv. for  
CPCB

**ORDER**

1. Learned Counsel for the Respondent No. 1 submits that though the reply was filed yesterday, since it was filed belatedly it has not come on record. Office is directed to place it on record. Counsel for Respondent No. 1 is directed to supply a copy of the reply to the Applicant within three weeks.

2. Learned Counsel for the Respondent No. 2 seeks a week's time to file the Reply. It will be open to the Applicant to file rejoinder within two weeks thereafter.

3. List on 01.05.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 16, 2025  
A..



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

**सा.का.नि. 320(अ).**—भारत सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया। इन नियमों ने देश में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंध के लिए एक नियामक ढांचा उपलब्ध कराया;

और इन नियमों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने और प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथक्करण, पुनः चक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के अन्य किसी स्रोत से अथवा मध्यवर्ती सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकड़ों के संग्रहण में अपशिष्ट बीनने वालों, पुनः चक्रकों और अपशिष्ट संसाधकों को शामिल किया और अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की दीर्घकालिकता के लिए प्रदूषकों के भुगतान करने का सिद्धांत अपनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा नियम अर्थात् प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 भारत के राजपत्र में सा.का.नि.423(अ), तारीख 25 मई, 2015 के तहत प्रकाशित कराए गए थे जिसमें जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं उससे 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व इनसे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जो उक्त अधिक्रमण से पूर्व की गई है अथवा जिनका विलोप किया गया है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 है।
- (2) इन नियमों में उपबंध के सिवाए वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.-**
  - (1) ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत विनिर्माता और उत्पादक को लागू होंगे।
  - (2) नियम 4 केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों पर लागू नहीं होगा: परन्तु यह छूट गुटका, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी इकाइयों और किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नहीं होगी।
3. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
  - (क) **"अधिनियम"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
  - (ख) **"ब्रांड स्वामी"** ऐसे व्यक्ति या कंपनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।
  - (ग) **"कैरी बैग"** से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया, ले जाने या वस्तुएं तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है;
  - (घ) **"वस्तु से"** ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित है;
  - (ङ) **"कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-आक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;
  - (च) **"सहमति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण या नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;
  - (छ) **"विघटन"** से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;
  - (ज) **"विस्तारित उत्पादक दायित्व"** से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है;
  - (झ) **"खाद्य पदार्थ"** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं;
  - (ञ) **"सुविधा"** से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पुनः चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाला परिसर अभिप्रेत है;
  - (ट) **"आयातकर्ता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाइसेंस है, जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो;
  - (ठ) **"संस्थागत अपशिष्ट जनित्र"** से केंद्रीय सरकारी विभागी, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्थल, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

- (ड) **"विनिर्माता"** से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या इकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है;
- (ढ) **"बहुस्तरीय पैकेजिंग"** के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, काज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पत्रियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से एम स्तर रखती है;
- (ण) **"प्लास्टिक"** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलिथाइलीन टैरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलिथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व पोलिथाइलीन, पोलिप्रोपीलीन, पोलिस्टाइरीन रेसिन, एक्रिलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पोलिफिनाइलीन आक्साइड, पोलिकाबोनेट, पोलिबूटीलीन टैरेफिथालेट जैसी उच्च पालिमेर के आवश्यक तत्व अनतर्विष्ट हों;
- (त) **"प्लास्टिक चदर"** के प्लास्टिक चदर से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बनी चदर;
- (थ) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या आशयित उपयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है;
- (द) **"विहित प्राधिकारी"** से नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ध) **"उत्पादक"** से कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक शीट या जैसे या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित हैं;
- (न) **"पुनः चक्रीकरण"** नए उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है;
- (प) **"रजिस्ट्रीकरण"** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;
- (फ) **"पथ विक्रेता"** का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) में है;
- (ब) **"शहरी स्थानीय निकाय"** से नगर निगम, म्युनिसिपलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद जैसे विभिन्न नामों वाले शहरी स्थानीय निकाय अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित हैं;
- (भ) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है;
- (म) **"अपशिष्ट जनित्र"** से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह और रक्षा कन्ट्रोलमेंट जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं, सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है;
- (य) **"अपशिष्ट प्रबंध"** से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भंडारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनःचक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;
- (र) **"अपशिष्ट चुनने वाले"** से पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किए गए व्यक्ति या एजेंसियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

#### 4. शर्तें.-

- (1) कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने आवरण का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात :-
- (क) कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग या तो प्राकृतिक रंग में होंगे जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उन्हीं रंजकों और रंगकों का उपयोग कर बनाए गए हैं जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खाद्य पदार्थों, भेषजीय

पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगकों की सूची" नामक शीर्षक से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुरूप हैं ;

- (ख) पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग खाने या पीने के लिए तैयार खाद्य सामग्री का भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए नहीं किया जाएगा;
- (ग) अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई में पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी;
- (घ) प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है, की मोटाई पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी प्लास्टिक शीट उत्पाद के कार्यरण में बाधक हो;
- (ङ) विनिर्माता संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को न बेचेगा या न उपलब्ध कराएगा या न व्यवस्था करेगा;
- (च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा;
- (छ) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनः चक्रण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होगा;
- (ज) मोटाई का प्रावधान कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर लागू नहीं होगा। कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोधित कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भारतीय मानक आईएस या आईएसओ 17088:2008 के अनुरूप होंगे। कंपोस्ट योज्य कैरी बैग के विनिर्माता या विक्रेता विपणन या बिक्री करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे;
- (झ) विनायल एसिटेड-मलेइक एसिड-विनायल क्लोराइड कोपॉलिमर सहित किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकेज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा।

#### 5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध-

- (1) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबद्ध अधिकारिता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इस प्रकार होगा :-
- (क) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनःचक्रित किया जा सकता हो, को रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनःचक्रण को पहुंचाया जाएगा और प्लास्टिक का पुनःचक्रण समय-समय पर यथा-संशोधित पुनःचक्रण के लिए दिशा-निर्देश नामक भारतीय मानक : आईएस 14534:1998 के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रधानतः ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट का जिसका पुनःचक्रीकरण नहीं किया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांग्रेस दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण करने या ऊर्जा पुनः प्राप्त करने या वेस्ट टु ऑयल आदि हेतु करने को प्रोत्साहित करेंगी। इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- (ग) तापस्थायी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा;
- (घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण की सुविधाओं के अक्रिय का व्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के अनुपालन में या समय-समय पर संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

#### 6. स्थानीय निकाय का दायित्व-

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण या संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा;
- (2) स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए तथा सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्;

- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
  - (ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
  - (ग) पुनःचक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरणीकरण को सुनिश्चित करना;
  - (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर पुनःचक्रण योग्य भाग के प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
  - (ङ) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;
  - (च) अपशिष्ट चुनने वालों के साथ कार्य कर रहे सिविल सोसायटी या समूहों को लगाना; और
  - (छ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।
- (3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रणाली के गठन के लिए स्थानीय निकाय उत्पादकों की सहायता लेगा और इन नियमों को भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी प्रणाली का गठन किया जाएगा।
- (4) स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाएगा।

### 7. ग्राम पंचायतों का दायित्व.-

- (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात्:-
- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाले पुनःचक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट का सरणीकरण सुनिश्चित करना; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
  - (ख) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;
  - (ग) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

### 8. अपशिष्ट जनक का उत्तरदायित्व.-

- (1) अपशिष्ट जनक.-
- (क) समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2000 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम करने और स्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक् करने के कदम उठाएगा।
  - (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने देगा और स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक् भंडारण सुनिश्चित करेगा तथा पृथक् अपशिष्ट को शहरी स्थायी निकायों या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या अपशिष्ट चुनने वालों, रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपेगा;
- (2) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत जनक उनके द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेंगे और पृथक्कृत अपशिष्टकों को स्वयं के या प्राधिकृत अपशिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्राधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण या व्ययन सुविधा या निक्षेपण केन्द्रों को सौंपेंगे।
- (3) सभी अपशिष्ट जनक ऐसी उपयोक्ता फीस या प्रभार अदा करेंगे जो अपशिष्ट संग्रहण या उसकी सुविधा के प्रचालन आदि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो;
- (4) खुली जगह में आयोजन की व्यवस्था करने वाला प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा अंतर्भूत है, ऐसे आयोजनों के दौरान जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रबंधन इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेगा।

### 9. उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्रांड स्वामियों का दायित्व.-

- (1) उत्पादक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यक्तिगत या समूहिक रूप से अपने निजी वितरण चैनल या संबद्ध स्थानीय निकाय के माध्यम से विस्तारित उत्पादक दायित्व पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए राज्य शहरी विकास विभाग को सम्मिलित करते हुए रूपरेखा तैयार करेगा।
- (2) उपयोग में लाए गए बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउचों या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्रांड स्वामियों का होगा जो बाजार में उत्पाद को पेश करते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है। संग्रह करने की यह योजना स्थापित करने या प्रचालन या नवीकरण के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी। जिन ब्रांड स्वामियों की सहमति का नवीकरण इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंदर उक्त योजना प्रस्तुत कर देंगे और उसके दो वर्ष बाद लागू कर देंगे।
- (3) पुनःचक्रीकरण न की जा सकने योग्य बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण एवं उपयोग, यदि कोई हो, दो वर्ष में बंद कर दिया जाएगा।
- (4) उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए राज्यों या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के यथास्थिति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।
- (5) कोई उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से रजिस्ट्रीकरण के बिना वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए किसी प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण या उपयोग नहीं करेगा।
- (6) प्रत्येक उत्पादक कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने कवर के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्ति के व्यौरों के अभिलेख बनाए रखेगा।

### 10. कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार.- प्लास्टिक सामग्री के अविक्रमित की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।

### 11. मार्का या लेबल लगाना.- (1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग पर अंग्रेजी में निम्नलिखित जानकारी मुद्रित की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई; और
- (ख) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या।
- (ग) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग की दशा में नाम और प्रमाणपत्र सं. [नियम 4(ज)]।

- (2) प्रत्येक पुनःचक्रीत कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुनःचक्रीत" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानके के समय-समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रीत प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा.14534:1998 के अनुसार होगा;



**टिप्पण :** पैट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड), पीपी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(3) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर कंपोस्ट योज्य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स.17088:2008 के अनुरूप होगा।

**12. विहित प्राधिकारी.-** (1) किसी संघ राज्य क्षेत्र की बाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति रजिस्ट्रीकरण, प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विभाग का संबद्ध भारसाधक सचिव अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(3) संबद्ध ग्राम पंचायत राज्य सा संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(4) उप-नियम (1) से (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन में संबद्ध जिले की अधिकारिता की राज्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की सहायता लेगा।

**13. उत्पादक, पुनःचक्रणकर्ता और विनिर्माणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण.-** (1) कोई व्यक्ति कैरी बैगों या पुनःचक्रित प्लास्टिक बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न हो गया हो;

(2) प्रत्येक उत्पादनकर्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को उपाबद्ध प्ररूप 1 का प्रयोग करते हुए आवेदन करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण करता है या पुनःचक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है, उपाबद्ध प्ररूप 2 का प्रयोग करते हुए पुनःचक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(4) उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक के विनिर्माण में लगे प्रत्येक विनिर्माता प्ररूप 3 में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति विनिर्माण या पुनःचक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि यूनिट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण तब नहीं करेगा जब तक उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना के लिए संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास के भारसाधक सचिव द्वारा पृष्ठांकित कार्य योजना न रखता हो।

(7) उपनियम (3) के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास समुचित सुविधाएं तकनीकी योग्यताएं और प्लास्टिक अपशिष्ट से

सुक्षित रूप से निपटने के लिए उपकरण हैं, ऐसी शर्तों के पूरा होने पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा जो रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों में अभिकथित की जाएंगे।

- (8) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु विनिश्चय करेगा।
- (9) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण जब तक कि वह विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और बाद में उसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- (10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, रजिस्ट्रीकरण को उत्पादक या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगे हुए व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं करेगी।
- (11) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम एक सौ बीस दिन पूर्व किया जाएगा।

**14. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं का दायित्व.-** (1) खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता उपभोक्ता को ऐसे कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तु नहीं बेचेगा या उपलब्ध कराएगा जो इन नियमों के अधीन विहितानुसार विनिर्मित या लेबल लगे या चिन्हित नहीं है।

(2) प्लास्टिक कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या ऐसे प्लास्टिक शीट से बने जो इन नियमों के अनुसार विनिर्मित या लेबलित या चिन्हित नहीं है, में वस्तुओं को बेचने या उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता ऐसा जुर्माना देने का दायी होगा जो स्थानीय निकायों की विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

**15. कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना.-** (1) जो दुकानदार और पथ विक्रेता किसी वस्तु को वितरित करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें स्थानीय निकाय के पास पंजीकरण करना होगा। स्थानीय निकाय, भारत के राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर, चार हजार रुपये प्रतिमाह की दर से न्यूनतम अड़तालीस हजार रुपये का प्लास्टिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए अपने राज्य के उपयुक्त कानून या उपनियमों के तहत अधिसूचना या आदेश के द्वारा प्रावधान करेगा। संबंधित स्थानीय निकाय उत्पादन या बिक्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क निर्धारित कर सकता है। पंजीकृत दुकानदार प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा कि प्लास्टिक कैरी बैग भुगतान करने पर दिए जाते हैं।

(2) वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध कराने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विक्रेता पात्र होंगे।

(3) शहरी स्थानीय निकाय कैरी बैगों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदत रकम का अनन्यतः उपयोग अपनी अधिकारिताओं के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की संधार्यता के लिए करेगा।

**16. राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति.-** (1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, इन नियमों के क्रियान्वयन के प्रभावी मॉनीटरिंग करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क)	सचिव, शहरी विकास विभाग	-	अध्यक्ष
(ख)	राज्य पर्यावरण विभाग से निदेशक	-	सदस्य
(ग)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से सदस्य सचिव	-	सदस्य
(घ)	म्युनिसिपल कमीशनर	-	सदस्य
(ङ)	स्थानीय निकाय से एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
(च)	गैर सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ जो अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल हो	-	सदस्य
(छ)	कमीशनर वैल्यु ऐडेड टैक्स या उसका प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ज)	बिक्री कर कमीशनर या अधिकारी	-	सदस्य
(झ)	प्लास्टिक संघ, ड्रग मॅन्युफैक्चरर एसोसिएशन, केमिकल मॅन्युफैक्चरर	-	सदस्य

## एसोसिएशन का प्रतिनिधि

- |     |   |   |        |
|-----|---|---|--------|
| (ज) | उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ           | - | सदस्य  |
| (ट) | शिक्षा संस्था के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ | - | सदस्य  |
| (ठ) | निदेशक, म्युनिसिपल प्रशासन              | - | संयोजक |

राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और यदि वह आवश्यक समझता है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

- 17. वार्षिक रिपोर्टें-** (1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 4 में वार्षिक रिपोर्ट्स तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष की 30 जून संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन शहरी विकास के संबद्ध भारसाधक सचिव को प्ररूप-5 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर प्ररूप-VI में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
- (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

## अनुसूची-1

(नियम 10 देखें)

1.	भा.मा./भा.मा.स.14851:1999 जलीय माध्यम से प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बंद रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मापन द्वारा पद्धति
2.	भा.मा./भा.मा.स.14852:1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति
3.	भा.मा./भा.मा.स.14853:2005 प्लास्टिक - जलीय तंत्र में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति
4.	भा.मा./भा.मा.स.14855-1:2005 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-1 सामान्य पद्धति)
5.	भा.मा./भा.मा.स.14855-2:2007 नियंत्रिक संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-2; प्रयोगशाला-स्केल परीक्षण में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का भारात्मक मापन)
6.	भा.मा./भा.मा.स.15985:2004 प्लास्टिक - 4उच्च ठोसता की अनाँक्सी (एनोरोबिक) डाइजेशन स्थितियों में अंतिम (अल्टीमेट) अनाँक्सी (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ज्ञात करना - निकली बायोगैस की विश्लेषण पद्धति
7.	भा.मा./भा.मा.स.16929:2002 प्लास्टिक - पायलट मापन परीक्षण में परिभाषित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री के विघटन का स्तर ज्ञात करना
8.	भा.मा./भा.मा.स.17556:2003 प्लास्टिक - रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अथवा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के मापन द्वारा मृदा में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना
9.	भा.मा./भा.मा.स.20200:2004 प्लास्टिक - प्रयोगशाला में अनुरूपी कंपोस्टिंग स्थितियों में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन का स्तर ज्ञात करना - स्केल परीक्षण

## प्ररूप-1

[नियम 13(2) देखें]

## उत्पादकों या ब्रांड स्वाभियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक .....

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 के नियम 9 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

### I. उत्पादक

<b>भाग-क</b> साधारण	
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति
(ख)	इकाई का नाम
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पंजीकरण : (i) कैरी बैग [(क) पैट्रो आधारित, (ख) कंपोस्ट योज्य] (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक
(घ)	विनिर्माण क्षमता
(ङ.)	नवीकरण की दशा में, पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
3. (क)	परियोजना पर निवेशित कुल पूंजी
(ख)	उत्पादन आरंभ करने का वर्ष
4. (क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अधीन केप्टिव विद्युत उत्पादन और जल भी है, निवेश और उत्पादन को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें।
6.	इन नियमों के अनुपालन की प्रास्थिति - मोटाई - पचास माइक्रोन (हां/नहीं)
<b>भाग-ख</b> द्रव बहिस्त्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
7.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
<b>भाग-ग</b>	

अपशिष्ट से संबंधित	
8.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध
9.	कैरी बैग अथवा समान प्रकार की प्लास्टिक शीट अथवा बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं।
10.	उन कार्मिकों या ब्रांड स्वामियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी
11.	प्लास्टिक अपशिष्ट का वापस संग्रहण करने की कार्य योजना
नाम और हस्ताक्षर पदनाम	
तारीख :	
स्थान :	

**II ब्रांड स्वामी**

भाग-क सामान्य	
1.	नाम, पता और संपर्क नम्बर
2.	नवीकरण की दशा में पिछला रजिस्ट्रीकरण नम्बर और रजिस्ट्रीकरण की तारीख
3.	क्या इकाई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र या डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
4.(क)	परियोजना में निवेशित कुल पूंजी
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष
5.(क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा
भाग - ख द्रव बहिष्काव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
5.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
6.	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।

भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित	
7.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध

8.	उन कार्मिकों या ब्रांड स्वामियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी	
9.	प्लास्टिक अपशिष्ट का वापस संग्रहण करने की कार्य योजना	
तारीख : स्थान :		नाम और हस्ताक्षर पदनाम

## प्रपत्र - II

## [नियम 13 (3) देखें]

## प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवेदन-प्रपत्र

1.	इकाई का नाम और पता				
2.	संपर्क व्यक्ति, पदनाम, टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित				
3.	प्रारंभ किए जाने की तारीख				
4.	कर्मकारों की संख्या (संविदा श्रम सहित)				
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ..... तक विधिमान्य ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ..... तक विधिमान्य ग. प्राधिकरण ; ..... तक विधिमान्य			
6.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया विनिर्माण, प्रक्रिया का प्रवाहित डायग्राम संलग्न करें प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रवाहित डायग्राम।			
7.	उत्पाद और उत्पादन की संस्थित क्षमता (एमटीए)	उत्पाद	संस्थित क्षमता		
8.	अपशिष्ट प्रबंधन	क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	मात्रा
	क. प्लास्टिक अपशिष्ट में अपशिष्ट जनन	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	ख. अपशिष्ट संग्रह और परिवहन (विवरण संलग्न करें)				
	ग. अपशिष्ट निपटान का विवरण	क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	मात्रा
(i)					
(ii)					
घ. निपटान सुविधा का ब्यौरा उपलब्ध कराएं, क्या सुविधा एसपीसीबी या पीसीसी द्वारा प्राधिकृत है					
ड. कृपया जनित अपशिष्ट के वर्गीकरण की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो लीचेट परीक्षण सहित)					
9.	कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग के लिए, यथा स्थिति, विक्री, नीलामी, संविदा या आयात के जरिए अर्जित होने वाले प्रस्तावित प्लास्टिक अपशिष्ट का ब्यौरा	(i) नाम (ii) प्रति वर्ष अपेक्षित मात्रा			
10.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहलू	कृपया सुविधाओं का ब्यौरा दें			
11.	प्रदूषण नियंत्रण के उपाय				
	क्या उत्सर्जन या बहिःस्राव के मानकों को पूरा करने के				

	लिए इकाई के पास पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां या उपस्कर है।	
	क्या इकाई उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है।	
	क्या हथालन अथवा प्रसंस्कृत की जारी सामग्री के पर्यावरण पर पड़ने वाले तत्काल या विलंब से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं या विद्यमान होने की संभावना है।	
	क्या हथालन अथवा प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री किसी भी साधन से अन्य सामग्री (अर्थात् लीचेट) उत्पन्न करने में सक्षम है, उसके लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं (या विद्यमान होने की संभावना है जिसमें विषाक्तता हो सकती है)	
12.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना, जिसमें अग्नि या दुर्घटना प्रशमनकारी उपाय शामिल है	
13.	नियमानुसार संलग्नों की सूची	

नाम और हस्ताक्षर  
पदनाम

तारीख :

स्थान :

### प्ररूप-III

[नियम 13(4) देखें]

### अपरिष्कृत प्लास्टिक विनिर्माताओं के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रेषक .....

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।

भाग-क सामान्य		
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का पता	
(ग)	नवीकरण के मामले में, पिछली रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
2.	क्या यह इकाई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की डीआईसी/डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हो, तो	

	रजिस्ट्रीकरण की प्रति संलग्न करें।	
3. (क)	परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन शुरू करने का वर्ष	
(ग)	उत्पादकों की सूची और उत्पादकों को आपूर्ति किए गए कच्चे माल की प्रमात्रा	
तारीख : स्थान :		नाम और हस्ताक्षर पदनाम

**प्ररूप-IV**

(नियम 17(1) देखें)

**स्थानीय निकाय को प्लास्टिक प्रसंस्करण या पुनःचक्रण सुविधा के प्रचालनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र****रिपोर्टिंग की अवधि :**

(1)	सुविधा के प्रचालककर्ता का नाम और पता	
(2)	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम (दूरभाष/फैक्स/मोबाइल/ई-मेल)	
(3)	क्षमता :	
(4)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां :	
(5)	प्रस्तुत रिपोर्ट के वर्ष के दौरान प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा तथा उसका स्रोत	
(6)	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा (टनों में) : - पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - उपयोग में लाया गया (टन में)	
(7)	खत्ता स्थलों में अंतिम निपटान हेतु भेजे गए बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों की प्रमात्रा :	
(8)	उस खत्ता सुविधा का ब्यौरा जहां बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों को अंतिम निपटान हेतु भेजा गया है : - पता - दूरभाष	
(9)	सहमति प्रदान करने या पंजीकरण के दौरान यदि कोई पर्यावरणीय शर्त विनिर्दिष्ट की गई हो तो उसके अनुपालन की स्थिति संलग्न करें।	

प्रचालनकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

**प्ररूप-V**

(नियम 17(2) देखें)

**स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र**

**रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि :**

(1)	शहर/नगर और राज्य का नाम	
(2)	जनसंख्या	
(3)	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
(4)	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन सं. फैक्स सं. ई-मेल :	
(5)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
(6)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में घरों की कुल संख्या	
(7)	घर-घर जाकर किए गए एकत्र करने में शामिल घरों की संख्या	
(8)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की कुल संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(9)	प्रत्येक संस्थान/संस्थान में जाकर एकत्र करने के लिए सम्मिलित वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(10)	घर-घर जाकर एकत्रण में शामिल एजेंसियों के ब्यौरे सहित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार किए गए तंत्रों का सारांश	
(11)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार की गई अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
(12)	अपेक्षित अवसंरचना, यदि कोई हो, के औचित्य सहित उसका ब्यौरा संलग्न करें	
(13)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्ष के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(14)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से वर्ष के दौरान एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(15)	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(16)	वर्ष के दौरान उपयोग हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(17)	वर्ष के दौरान भू-भराव स्थलों को भेजे गए बेकार/अस्वीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(18)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान हेतु प्रयुक्त प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा <b>सुविधा-1</b> i) प्रचालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) क्षमता iv) प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v) पंजीकरण संख्या	

	vi) पंजीकरण की वैधता (तक) <b>सुविधा-2</b> i) प्रचालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) क्षमता iv) प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v) पंजीकरण संख्या vi) पंजीकरण की वैधता (तक)	
(19)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई स्थानीय निकायों की निजी जनशक्ति।	
(20)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई ठेकेदार/ग्रहियों की जनशक्ति।	
(21)	वित्तीय बाध्यताओं, सहित इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें	
(22)	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हो तो (प्रति संलग्न करें) संशोधन की तारीख :	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

**प्ररूप-VI**

**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन की वर्ष ..... की राज्यवार स्थिति**

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम	अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट जनन दर प्रति वर्ष (टीपीए)	राजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक विनिर्माता या पुनः चक्रण इकाइयों की संख्या (प्रवर्धक, कैंपोस्ट योज्य सहित) (नियम 9)	गैर-राजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक विनिर्माता या पुनःचक्रण इकाइयों की संख्या (आवासीय या अतिरिक्त क्षेत्रों में)	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण (पीडब्ल्यूएम) अर्थात् संग्रहण, पृथक्करण, निपटान (सह-प्रसंस्करण सड़क निर्माण आदि) (नियम 6) (अलग पृष्ठ संलग्न करें)	प्लास्टिक कैंरी बैग के उपयोग पर आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिबंध (कार्यकारी आदेश के जरिए) (अधिसूचना या कार्यकारी आदेश की प्रति संलग्न करें)	कैंरी बैग पर मार्क करने, लेबल लगाने की स्थिति (नियम 8) (अनुपालन करने/अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों की संख्या का उल्लेख करें)	कैंरी बैगों का स्पष्ट मूल्य निर्धारण करना (नियम 10)	राज्य स्तरीय सलाहकार संस्था (एसएलए) की बैठकों तथा साथ ही कार्यान्वयन के संबंध में इसकी सिफारिशों का विवरण (नियम 11)	उल्लेखनों की संख्या और इन नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई	क्षेत्राधिकार के अधीन म्युनिसिपल प्राधिकरणों या ग्राम पंचायतों की संख्या और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (नियम 12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		प्लास्टिक इकाई	कैंपोस्ट योज्य प्लास्टिक इकाई	बहुस्तरीय प्लास्टिक इकाई						



label.

- (c) **“carry bags”** mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.
- (d) **“commodity”** means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;
- (e) **“compostable plastics”** mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO<sub>2</sub>, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
- (f) **“consent”** means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);
- (g) **“disintegration”** means the physical breakdown of a material into very small fragments;
- (h) **“extended producer’s responsibility ”** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;
- (i) **“food-stuffs”** mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;
- (j) **“facility”** means the premises used for collection, Storage, recycling, processing and disposal of plastic waste;
- (k) **“importer”** means a person who imports or intends to import and holds an Importer -Exporter Code number, unless otherwise specifically exempted.
- (l) **“institutional waste generator”** means and includes occupier of the institutional buildings such as building occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organisation, academy, hotels, restaurants, malls and shopping complexes;
- (m) **“manufacturer”** means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer.
- (n) **“multilayered packaging”** means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
- (o) **“plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, Polybutylene terephthalate;
- (p) **“plastic sheet”** means Plastic sheet is the sheet made of plastic;
- (q) **“plastic waste”** means any plastic discarded after use or after their intended use is over;
- (r) **“prescribed authority”** means the authorities specified in rule 12;
- (s) **“producer”** means persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (t) **“recycling”** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;

- (u) **"registration"** means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be;
- (v) **"street vendor"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
- (w) **"local body"** means urban local body with different nomenclature such as municipal corporation, municipality, nagarpalika, nagarnigam, nagarpanchayat, municipal council including notified area committee (NAC) and not limited to or any other local body constituted under the relevant statutes such as gram panchayat, where the management of plastic waste is entrusted to such agency;
- (x) **"virgin plastic"** means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (y) **"waste generator"** means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbour and Defense establishments which generate plastic waste;
- (z) **"waste management"** means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner;
- (aa) **"waste pickers"** mean individuals or agencies, groups of individuals voluntarily engaged or authorised for picking of recyclable plastic waste.

**4. Conditions.-** (1) The manufacture, importer stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-

- a) carry bags and plastic packaging shall either be in natural shade which is without any added pigments or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as "List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water", as amended from time to time;
- b) Carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff;
- c) carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than fifty microns in thickness;
- d) plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impair the functionality of the product;
- e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee;
- f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;
- g) recycling of plastic waste shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;
- h) The provision of thickness shall not be applicable to carry bags made up of compostable plastic. Carry bags made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling; and
- i) plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

**5. Plastic waste management.-** (1) The plastic waste management by the urban local bodies in their respective jurisdiction shall be as under:-

- (a) plastic waste, which can be recycled, shall be channelized to registered plastic waste recycler and recycling of plastic shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time.
- (b) local bodies shall encourage the use of plastic waste (preferably the plastic waste which cannot be further recycled) for road construction as per Indian Road Congress guidelines or energy recovery or waste to oil etc. The standards and pollution control norms specified by the prescribed authority for these technologies shall be complied with.
- (c) Thermo set plastic waste shall be processed and disposed off as per the guidelines issued from time to time by the Central Pollution Control Board.
- (d) The inert from recycling or processing facilities of plastic waste shall be disposed of in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.

**6. Responsibility of local body.-** (1) Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers.

(2) The local body shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:-

- (a) Ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;
- (b) ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
- (c) ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;
- (d) ensuring processing and disposal on non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
- (e) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities;
- (f) engaging civil societies or groups working with waste pickers; and
- (g) ensuring that open burning of plastic waste does not take place.

(3) The local body for setting up of system for plastic waste management shall seek assistance of producers and such system shall be set up within one year from the date of final publication of these rules in the Official Gazette of India.

(4) The local body to frame bye-laws incorporating the provisions of these rules.

**7. Responsibility of Gram Panchayat.-** (1) Every gram panchayat either on its own or by engaging an agency shall set up, operationalise and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely,-

- (a) ensuring segregation, collection, storage, transportation, plastic waste and channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers having valid registration; ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
- (b) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities; and
- (c) ensuring that open burning of plastic waste does not take place

**8. Responsibility of waste generator.-** (1) The waste generator shall.-

- (a) take steps to minimize generation of plastic waste and segregate plastic waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.
  - (b) not litter the plastic waste and ensure segregated storage of waste at source and handover segregated waste to urban local body or gram panchayat or agencies appointed by them or registered waste pickers', registered recyclers or waste collection agencies;
- (2) All institutional generators of plastic waste, shall segregate and store the waste generated by them in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time and handover

segregated wastes to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centers either on its own or through the authorized waste collection agency.

(3) All waste generators shall pay such user fee or charge as may be specified in the bye-laws of the local bodies for plastic waste management such as waste collection or operation of the facility thereof, etc.;

(4) Every person responsible for organising an event in open space, which involves service of food stuff in plastic or multilayered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide

S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time.

**9. Responsibility of producers, Importers and Brand Owners.-** (1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(3) manufacture and use of non- recyclable multilayered plastic if any should be phased out in Two years time.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

(6) Every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

**10. Protocols for compostable plastic materials.-**Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule-I to these rules.

**11. Marking or labelling.-**(1) Each plastic carry bag and multilayered packaging shall have the following information printed in English namely,-

- (a) name, registration number of the manufacturer and thickness in case of carry bag;
- (b) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging; and
- (c) name and certificate number [Rule 4(h)] in case of carry bags made from compostable plastic

(2) Each recycled carry bag shall bear a label or a mark "recycled" as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as "Guidelines for Recycling of Plastics", as amended from time to time;



NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephthalate) etc.

Each carry bag made from compostable plastics shall bear a label “compostable” and shall conform to the Indian Standard : IS or ISO 17088:2008 titled as Specifications for “Compostable Plastics”.

**12. Prescribed authority.-** (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

(2) The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging.

(3) The concerned Gram Panchayat shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in the rural area of the State or a Union Territory.

(4) The authorities referred to in sub-rules (1) to (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provisions of these rules.

**13. Registration of producer, recyclers and manufacturer,-** (1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, as the case may be, prior to the commencement of production;

(2) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, in Form I

(3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form II.

(4) Every manufacturer engaged in manufacturer of plastic to be used as raw material by the producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, for the grant of registration or for the renewal of registration, in Form III.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not issue or renew registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) along with a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.

- (6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not renew registration of producer unless the producer possesses and action plan endorsed by the Secretary in charge of Urban Development of the concerned State or Union Territory for setting of plastic waste management system.
- (7) On receipt of the application complete in all respects for the registration for recycling or processing of plastic waste under sub-rule (3), the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle plastic waste safely, may grant registration to the applicant on fulfilment of the conditions as may be laid down in terms of registration.
- (8) Every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application which is complete in all respects.
- (9) The registration granted under this rule shall initially be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.
- (10) State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees shall not revoke, suspend or cancel registration without providing the opportunity of a hearing to the producer or person engaged in recycling or processing of plastic wastes.
- (11) Every application for renewal of registration shall be made at least one hundred twenty days before the expiry of the validity of the registration certificate.

**14. Responsibility of retailers and street vendors-** (1) Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multilayered packaging, which are not manufactured and labelled or marked, as per prescribed under these rules.

(2) Every retailers or street vendors selling or providing commodities in, plastic carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labelled or marked in accordance with these rules shall be liable to pay such fines as specified under the bye-laws of the local bodies.

**15. Explicit pricing of carry bags.-** (1) The shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing any commodity shall register with local body. The local body shall, within a period of six months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette of India notification of these rules, by notification or an order under their appropriate state statute or byelaws shall make provisions for such registration on payment of plastic waste management fee of minimum rupees forty eight thousand @ rupees four thousand per month. The concerned local body may prescribe higher plastic waste management fee, depending upon the sale capacity. The registered shop keepers shall display at prominent place that plastic carry bags are given on payment.

(2) Only the registered shopkeepers or street vendors shall be eligible to provide plastic carry bags for dispensing the commodities.

(3) The local body shall utilize the amount paid by the customers for the carry bags exclusively for the sustainability of the waste management system within their jurisdictions.

**16. State Level Monitoring Committee.-** (1) The State government or the union Territory shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Advisory Committee consisting of the following persons, namely;-

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| (a) | the Secretary, Department of Urban Development  | - Chairman |
| (b) | Director from State Department of Environment   | - Member   |
| (c) | Member Secretary from State Pollution Control Board<br>or Pollution Control Committee | - Member   |
| (d) | Municipal Commissioner  | - Member   |
| (e) | one expert from Local Body  | - Member   |
| (f) | one expert from Non-Governmental<br>involved in Waste Management                      | - Member   |

- (g) Commissioner, Value Added Tax or his nominee, - Member
- (h) Sales Tax Commissioner or Officer - Member
- (i) representative of Plastic Association,  
Drug Manufacturers Association,  
Chemical Manufacturers Association - Member
- (j) one expert from the field of Industry - Member and
- (k) one expert from the field of academic institution - Member
- (l) Director , Municipal Administration - Convener

The State Level Advisory Body shall meet at least once in Six Month and may invite experts, if it considers necessary.

**17. Annual reports.-** (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30<sup>th</sup> April, of every year.

(2) Every local body shall prepare and submit an annual report in Form –V to the concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30<sup>th</sup> June, every year.

(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report in Form VI to the CPCB on the implementation of these rules by the 31<sup>st</sup> July, of every year.

(4) The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31<sup>st</sup> August of every year.

#### SCHEDULE-I

[See rule 10]

1.	IS / ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2.	IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3.	IS / ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4.	IS /ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5.	IS / ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test )
6.	IS / ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7.	IS /ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8.	IS / ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9.	IS / ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test

#### FORM - I

[See rules 13 (2)]

#### APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners

From: .....

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2015

1. Producers

<b>PART - A</b> GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags; (a) petro- based, (b) Compostable (ii) Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)	
<b>PART - B</b> PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
7.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
<b>PART - C</b> PERTAINING TO WASTE		
8.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
9.	Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	

10.	Attach or provide list of personnel or Brand Owners to whom the products will be supplied	
11.	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :		

## II Brand Owners:

<b>PART - A</b> GENERAL		
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
<b>PART - B</b> PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
<b>PART - C</b> PERTAINING TO WASTE		
7.	Solid Wastes or rejects: (c) Total quantum of waste generated (d) Mode of storage within the plant (d) Provision made for disposal of wastes	
8.	Attach or Provide list of person supplying plastic material	
9	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :		

**FORM - II**

[see rule 13 (3)]

**APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF UNITS ENGAGED IN PROCESSING OR RECYCLING OF PLASTIC WASTE**

1.	Name and Address of the unit	
2.	Contact person with designation, Tel./Fax /email	

3.	Date of commencement				
4.	No. of workers (including contract labour)				
5.	Consents Validity	a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; Valid up to _____ b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; Valid up to _____ c. Authorization ; valid up to ....			
6.	Manufacturing Process	Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.			
7.	Products and installed capacity of production (MTA)	Products		Installed capacity	
8.	Waste Management:	S. No.	Type	Category	Qty.
	a. Waste generation in processing plastic-waste	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	b. Waste Collection and transportation (attach details)				
	c. Waste Disposal details	S. No.	Type	Category	Qty
		(i)			
		(ii)			
d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB or PCC					
e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)					
9.	Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material	(i) Name (ii) Quantity required /year			
10.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities			
11.	Pollution Control Measures				
	Whether the unit has adequate pollution control systems or equipment to meet the standards of emission or effluent.	If Yes, please furnish details			
	Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.	Yes/No			
	Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled or processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.	Yes/No			
	Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled or processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.	Yes/No			
12.	Any other relevant information including fire or accident mitigative measures				
13.	List of enclosures as per rule				

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

**FORM - III**

[See rules 13(4)]

**APPLICATION FOR REGISTRATION FOR MANUFACTURERS OF PLASTIC RAW MATERIALS**

From: .....

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under the Plastic Waste Management Rules, 2011

<b>PART - A GENERAL</b>		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC or DCSSI of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
(c)	List of producers and quantum of raw materials supplied to producers	
		Name and Signature Designation
Date :		
Place :		

**Form - IV**

*[See rules 17 (1)]*

**FORMAT OF ANNUAL REPORT BY OPERATOR OF PLASTIC WASTE PROCESSING OR RECYCLING FACILITY TO THE LOCAL BODY**

**Period of Reporting:**

(1)	Name and Address of operator of the facility	
(2)	Name of officer in-charge of the facility (Telephone/Fax/Mobile/ E-mail)	
(3)	Capacity:	
(4)	Technologies used for management of plastic waste:	
(5)	Quantity of plastic waste received during the year being reported upon along with the source	
(6)	Quantity of plastic waste processed (in tons): - Plastic waste recycled(in tons) - Plastic waste processed (in tons) - Used (in tons)	
(7)	Quantity of inert or rejects sent for final disposal to landfill sites:	
(8)	Details of land fill facility to which inert or rejects were sent	

	for final disposal: - Address -Telephone	
(9)	Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of Consent or registration	

Signature of Operator

Dated :

Place:

**Form - V***[See rules 17(2)]***FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE LOCAL BODY****Period of Reporting:**

(1)	Name of the City or Town and State:	
(2)	Population	
(3)	Area in sq. kilometers	
(4)	Name & Address of Local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
(5)	Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction	
(6)	Total Numbers of Households in the area under jurisdiction	
(7)	Number of households covered by door to door collection	
(8)	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction -Commercial establishments - Institutions	
(9)	Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection -Commercial establishments - Institutions	
(10)	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection	
(11)	Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
(12)	Attach details of infrastructure required, if any along with justification	
(13)	Quantity of Plastic Waste generated during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(14)	Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(15)	Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)	
(16)	Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)	
(17)	Quantity of inert or rejects sent to landfill sites during the year (in tons)	
(18)	Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste <b>Facility-I</b> i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to)	

Name of the SPCB or PCC	Estimated Waste generation Tons Per Annum (TPA)	No. of registered Plastic Manufacturing or Recycling (including multilayer, compostable) units. (Rule 9)			No. of Unregistered plastic manufacturing Recycling units. (in residential or unapproved areas)	Details of Plastic Waste Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing road construction etc.) (Rules 6) (Attach separate	Partial or complete ban on usages of Plastic Carry Bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or executive order)	Status of Marking Labelling on carry bags (Rule 8) [Specify the number of units or not complied]	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule 11)	No. of violations and action taken on non-compliance of provisions of these Rules	Number of Municipal Authority or Gram Panchayat under jurisdiction and Submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic units								

	<p><b>Facility-II</b></p> <p>i) Name of operator</p> <p>ii) Address with Telephone Number or Mobile</p> <p>iii) Capacity</p> <p>iv) Technology Used</p> <p>v) Registration Number</p> <p>Validity of Registration (up to)</p>	
(19)	Give details of: Local body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(20)	Give details of: Contractor or concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.	
(21)	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules including the financial constrains, if any	
(22)	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy) Date of revision:	

Signature of CEO or Municipal Commissioner or

Executive Officer or Chief Officer

Date:

Place:

**Form-VI**

**STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 FOR THE YEAR ... ANNUAL REPORT Format**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233568  
CG-DL-E-17022022-233568

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]  
No. 131]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 133(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (1) में 'इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार' शब्दों के स्थान पर "अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, अनुसूची-I के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-II

(नियम 9 (1) देखें)

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देश

**1. पृष्ठभूमि:**

(1.1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मंत्रालय' कहा गया है) ने 18 मार्च 2016 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया था। मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को भी अधिसूचित किया था। चूंकि प्लास्टिक अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों नियम देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर लागू होते हैं।

(1.2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को प्लास्टिक अपशिष्ट कम उत्पन्न कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को न फैलाने, स्रोत पर ही अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने और नियमों के अनुसार अपशिष्ट को सौंपने की आज्ञा देते हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों, खुदरा विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों के उत्तरदायित्वों को भी आज्ञापित करते हैं।

(1.3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) डाला है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) पूर्व-उपभोक्ता और पश्च उपभोक्ता के प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट दोनों पर लागू होगा।

(1.4) ये दिशानिर्देश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड स्वामियों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में दी गई परिभाषाएं इन दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित होने तक लागू होती हैं।

**2. प्रभावी होने की तारीख :**

ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों से संबंधित चल रही प्रक्रियाओं को इन दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा जाएगा।

**3. परिभाषाएं :**

(क) "जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक" से कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से भिन्न ऐसा प्लास्टिक अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रमाणित मानकों का अनुपालन करते हुए कोई भी माइक्रो प्लास्टिक, या दृश्य, विशिष्ट या विषाक्त अवशिष्ट, जिसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हों, छोड़े बिना विविनिर्दिष्ट समयावधियों में परिवेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जल में) परिस्थितियों में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण अवक्रमण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है;

(ख) "ब्रांड स्वामी" से ऐसा व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्री ब्रांड लेबल या व्यापार चिन्ह से कोई वस्तु बेचता है;

(ग) "कैरी बैग्स" (प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि II के अंतर्गत आने वाले - खंड 5.1 (II)) से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट हो सकने योग्य प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत हैं, जिनका उन वस्तुओं को ले जाने या वितरित करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, जिनमें स्वयं ले जाने की सुविधा होती है, किन्तु इसमें ऐसे बैग शामिल नहीं हैं जो पैकेजिंग का एक अभिन्न अंग हो जिसमें उपयोग करने से पहले माल को सील कर दिया जाता है;

(घ) "समय अवसान होने पर निपटान" से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) या अपशिष्ट से तेल या भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण आदि के लिए उपयोग करना शामिल हैं।

(ड.) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)" से उत्पाद के समय अवसान तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक उत्पादक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(च) "आयातक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद या प्लास्टिक पैकेजिंग या कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के उत्पादों का आयात करता है;

(छ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में एक उच्च बहुलक होता है जैसे पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थैलेट, उच्च घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइन रेजिन और एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन टैरेफ्थैलेट जैसी बहु-सामग्री होती हैं;

(ज) "प्लास्टिक पैकेजिंग" से विभिन्न तरीकों से उत्पादों की सुरक्षा, परिरक्षण, भंडारण और परिवहन करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करके बनायी गई पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है।

(झ) "प्लास्टिक शीट" से ऐसी प्लास्टिक शीट अभिप्रेत है जो प्लास्टिक से बनी शीट होती है;

(ञ) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता" से ऊर्जा के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा) और इसे तेल (अपशिष्ट से तेल), औद्योगिक कम्पोस्टिंग में परिवर्तित करने में लगे पुनर्चक्रणकर्ता और संस्थाएं अभिप्रेत हैं।

(ट) "पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" से प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के चरण में रिजेक्ट या डिस्कार्ड के रूप में उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पादक के अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग के पहुंचने से पहले अस्वीकृत करने और फेंकने सहित उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(ठ) "पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" से अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता द्वारा पैकेजिंग का इच्छित उपयोग पूर्ण होने और अपने आशयित प्रयोजन के लिए और अधिक प्रयोग न किए जाने के पश्चात् उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(ड) "उत्पादक" से कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें पैकेजिंग या वस्तु को लपेटने के लिए पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक शीट या समान सामग्री या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग से बने कवर का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति शामिल हैं;

(ढ) "पुनर्चक्रणकर्ता" वे संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगी हुई हैं;

(ण) "पुनर्चक्रण" से अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्चे माल में नए उत्पादों के उत्पादन के लिए बदलने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(त) "पुनः उपयोग" से किसी वस्तु या संसाधन सामग्री का फिर से उसी उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु की संरचना को बदले बिना उपयोग करना अभिप्रेत है;

(थ) "पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग" से वर्जिन प्लास्टिक के बजाय पुनर्चक्रित प्लास्टिक को, विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाना अभिप्रेत है;

(द) "अपशिष्ट प्रबंधन" से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, खाद बनाना या निपटान करना अभिप्रेत है;

(ध) "अपशिष्ट से ऊर्जा" से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) शामिल है।

**4. बाध्यकारी इकाइयां**

निम्नलिखित ईकाइयों को विस्तारित उत्पादक दायित्वों और इस अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत रखा जाएगा अर्थात्:

- (i) प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (पी);
- (ii) सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातक (आई);
- (iii) ब्रांड स्वामी (बीओ) जिसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म / मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट / खुदरा श्रृंखला शामिल हैं, जो सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम से भिन्न हैं।
- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता

**5. विस्तारित उत्पादक दायित्व की व्याप्ति**

(5.1) निम्नलिखित प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि विस्तारित उत्पादक दायित्व के अंतर्गत आती हैं,

**(i) कोटि I**

सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग

**(ii) कोटि II**

सिंगल लेयर या मल्टीलेयर (विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक के साथ एक से अधिक लेयर) की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग, प्लास्टिक सैशे या पाउच

**(iii) कोटि III**

मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक भिन्न अन्य सामग्री की कम से कम एक परत)

**(iv) कोटि IV**

पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री के साथ-साथ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग।

(5.2) प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक दायित्व दिशानिर्देश में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :

- I. पुनः उपयोग
- II. पुनर्चक्रण
- III. पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग
- IV. समय अवसान सीमा होने पर निपटान।

**6. रजिस्ट्रीकरण**

(6.1) (क) निम्नलिखित संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होंगी :

- (i) उत्पादक (पी)
- (ii) आयातक (आई)
- (iii) ब्रांड स्वामी (बीओ)

- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ता जो (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल बनाने और (iv) औद्योगिक कम्पोस्टिंग के काम में लगे हैं,

(ख) उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामियों (एक या दो राज्यों में काम कर रहे) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक दायित्व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामियों (दो राज्यों से अधिक में काम कर रहे) का रजिस्ट्रीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के पश्चात् किसी वर्ष विशेष में अपना व्यवसाय शुरू करने और उसी वर्ष में बाजार में अपने उत्पादों को उतारने वाली इकाइयों के संबंध में उनकी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की बाध्यताएं अगले वर्ष से होंगी।

(6.2) खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय नहीं करेंगी।

(6.3) खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रजिस्ट्रीकृत किसी भी इकाई के साथ काम नहीं करेंगी।

(6.4) ऐसे मामले, जिसमें यह पाया या अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किसी इकाई ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराते समय गलत सूचना दी है या जानबूझकर सूचना छिपायी है या विविनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में कोई अनियमितता पायी गई या उनसे विचलन किया गया है, तब ऐसी इकाई का रजिस्ट्रीकरण, सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिसंहत कर दिया जाएगा। इकाइयां, जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत कर दिया गया है, प्रतिसंहरण की अवधि तक नया रजिस्ट्रीकरण कराने में समर्थ नहीं रहेंगी।

(6.5) यदि कोई संस्था खंड (6.1) में उल्लिखित एक से अधिक उप-कोटि में आती है, तो ऐसी संस्था उन प्रत्येक उप-कोटियों के अधीन अलग से रजिस्ट्रीकृत होगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, जहां संस्था की खंड 6.1 में उल्लिखित एक विशेष उप-कोटि में अलग-अलग राज्यों में इकाइयां हैं, तो इन इकाइयों को भी अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। तथापि, एक राज्य में एक उपकोटि के अधीन केवल एक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता होगी, भले ही, एक राज्य में एक से अधिक इकाइयां स्थित हों। यह रजिस्ट्रीकरण, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(6.6) रजिस्ट्रीकरण करते समय, संस्थाओं को पैन संख्या, जीएसटी संख्या, कम्पनी का सीआईएन संख्या और आधार संख्या और प्राधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि के पैन संख्या और यथा अपेक्षित कोई अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

## 7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य और उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों की बाध्यताएं :

(7.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य कोटि-वार निर्धारित किए जाएंगे

**(7.2) उत्पादक (पी)****(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

मीट्रिक टन (पहली तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4 (iii) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा (ग) निम्नानुसार घटाई जाएगी :

$$\text{क्यू 1 (एमटी में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, कोटि-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

**सारणी - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य**

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य (पहली तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार)
I.	2021 - 22	25 %
II.	2022 - 23	70 %
III.	2023 - 24	100 %

कोटि-वार मीट्रिक टन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में उत्पादक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

**(ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके पश्चात्
कोटि I	50	60	70	80
कोटि II	30	40	50	60
कोटि III	30	40	50	60
कोटि IV	50	60	70	80

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

**(ग) समय अवसान सीमा होने पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे समय अवसान सीमा निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

**(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)**

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में विनिर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके पश्चात्
कोटि I	30	40	50	60
कोटि II	10	10	20	20
कोटि III	5	5	10	10

ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी को ऐसे उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

**7.3 आयातक (आई)**

**(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

मीट्रिक टन (दूसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री और/या आयात किए गए उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4(iii) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा में से अपशिष्ट की मात्रा (ग) निम्नानुसार घटाई जाएगी।

$$\text{क्यू 2 (एमटी में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, कोटि-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, अर्थात् :-

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य (दूसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार)
I.	2021 - 22	25 %
II.	2022 - 23	70 %
III.	2023 - 24	100 %

मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में आयातक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

**(ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

आयातक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा निपटान को छोड़कर)  
(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके पश्चात् से
कोटि I	50	60	70	80
कोटि II	30	40	50	60
कोटि III	30	40	50	60
कोटि IV	50	60	70	80

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

**(ग) समय अवसान सीमा पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)**

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे मियाद समाप्ति निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) उत्पादक, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

**(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)**

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में आयातित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके पश्चात्
कोटि I	30	40	50	60
कोटि II	10	10	20	20
कोटि III	5	5	10	10

आयातित सामग्री में प्रयुक्त किसी भी पुनर्चक्रित प्लास्टिक को दायित्व की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा। आयातक को ऐसे उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग के अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का

उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

#### 7.4 ब्रांड स्वामी (बीओ)

##### (क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन में (तीसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बाजार में खरीदी और पेश की गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में उपभोक्ता पूर्व प्लास्टिक पैकेजिंग की (ख) औसत मात्रा निम्नानुसार जोड़ी जाएगी।

क्यू 3 (एमटी में) = क + ख

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, कोटि-वार नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य (तीसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार)
I.	2021 - 22	25 %
II.	2022 - 23	70 %
III.	2023 - 24	100 %

मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में ब्रांड स्वामी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

##### (ख) पुनः उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 4 और 5 देखें)

I. अपने उत्पादों के लिए कोटि I (सख्त) प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाले ब्रांड स्वामी पर नीचे दिए गए अनुसार ऐसी पैकेजिंग का पुनः उपयोग करने की न्यूनतम बाध्यता होगी।

परंतु कि फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन में कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः प्रयोग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विनियमन के अधीन होगा।

(II) कोटि I (सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग) के लिए पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम बाध्यता।

	वर्ष	लक्ष्य (वर्ष में बेचे जाने वाले उत्पाद में कोटि I के सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में)
क	कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग यथास्थिति, जिसकी मात्रा या वजन 0.9 लीटर या किग्रा के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किग्रा से कम हो।	
I.	2025 - 26	10
II.	2026 - 27	15
III.	2027 - 28	20
IV.	2028 - 29 और उसके पश्चात्	25

ख	कोटि I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका वजन 4.9 लीटर या किग्रा से अधिक या बराबर है।	
I.	2025 – 26	70
II.	2026 – 27	75
III.	2027 – 28	80
IV.	2028 – 29 और उसके पश्चात्	85

(III) ब्रांड स्वामी द्वारा पुनः उपयोग की जाने वाली सख्त पैकेजिंग की मात्रा की गणना ब्रांड स्वामी की बिक्री से उस वर्ष में निर्मित/आयातित/खरीदी गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करके की जाएगी। ब्रांड स्वामी यह जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

(IV) कोटि I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की पुनः उपयोग की मात्रा को बाध्य संस्थाओं (ब्रांड स्वामी) द्वारा कोटि I के अधीन उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम किया जाएगा।

III. वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान पुनः उपयोग की गई कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा कोटि I के अधीन उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम हो जाएगी।

(ग) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

ब्रांड स्वामी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर किए गए निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर किए गए निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके पश्चात्
कोटि I	50	60	70	80
कोटि II	30	40	50	60
कोटि III	30	40	50	60
कोटि IV	50	60	70	80

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

(घ) समय अवसान सीमा पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे समय अवसान सीमा निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) ब्रांड स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

**(ड) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए दायित्व (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)**

(i) ब्रांड स्वामी कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नीचे दिए अनुसार सुनिश्चित करेगा।  
प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में विनिर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके पश्चात्
कोटि I	30	40	50	60
कोटि II	10	10	20	20
कोटि III	5	5	10	10

(ii) ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी को ऐसे उत्पादक आयातक ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(iii) ऐसे मामले में, जहां ब्रांड स्वामी प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का उत्पादक और/या आयातक भी है, तो खंड 7.2 और 7.3 भी क्रमशः उत्पादक और/या आयातक के रूप में उनके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्यों और बाध्यताओं को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे।

(7.5) मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, सभी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(7.6) विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर पुनः उपयोग, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग की बाध्यताओं का पुनर्विलोकन प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाएगा।

(7.7) प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा देगा :

(i) पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाली पैकेज डिजाइनिंग,

(ii) पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त पैकेज डिजाइनिंग,

(iii) प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री में पुनर्चक्रित प्लास्टिक मात्रा और (iv) पर्यावरण के लिए पैकेज डिजाइनिंग।

(7.8) यदि बाध्य संस्था ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करती है जो परिवेशी वातावरण में 100% जैव अपघटनीय है, और उसका स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई सूक्ष्म प्लास्टिक या रासायनिक अवशेष या कोई भी अन्य निशान नहीं रहता है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है। ऐसी सामग्री के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य लागू नहीं होगा।

8. अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को बनाना, पिछले वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों और दायित्वों की तुलना में अग्रेषित और मुजरा करना, और अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद करना

(8.1) ऐसा ब्रांड स्वामी जिसने अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्यों को कोटि-वार पूरा कर लिया है, निम्नलिखित के लिए अधिशेष का उपयोग कर सकता है, अर्थात् :-

- (i) खंड 9.5 के अधीन पिछले वर्ष की कमी की मुजराई,
- (ii) आगामी वर्ष में उपयोग के लिए अग्रेषित करना
- (iii) इसे अन्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों को बेचना

(8.2) एक कोटि में अधिशेष का उपयोग केवल उसी कोटि में मुजराई, अग्रेषण और बिक्री के लिए किया जा सकता है। पुनः उपयोग के अंतर्गत अधिशेष का उपयोग पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और समय अवसान सीमा होने पर निपटान के लिए उपरोक्त के लिए किया जा सकता है। पुनर्चक्रण के अंतर्गत अधिशेष का उपयोग पुनर्चक्रण और समय अवसान सीमा होने पर निपटान के लिए किया जा सकता है। समय अवसान सीमा होने वाले किसी अधिशेष का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(8.3) कोई उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी उसी कोटि के अन्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों से अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदकर एक कोटि के अधीन अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को भी पूरा कर सकता है।

(8.4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अंतर्गत वार्षिक विवरणी फाइल करते समय ऐसे संव्यवहार को उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अभिलिखित और प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

## 9. पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण

(9.1) पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के प्रयोजन के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के संबंध में 'प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान' के सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की जाएगी।

(9.2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशानिर्देशों में संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित बाध्यताओं को पूरा न करने के मामले में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और मियाद समाप्ति निपटान करने वाले प्रसंस्करणकर्ता पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधिरोपण और संग्रहण के लिए दिशानिर्देश अधिकथित करेगा और इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों को अपेक्षित अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(9.3) इन दिशानिर्देशों में संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा न करने के संबंध में दो से अधिक राज्यों में संचालित उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति, यथा लागू, उद्गृहीत की जाएगी।

(9.4) पर्यावरण क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनकी अधिकारिता में काम कर रहे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (दो से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता - अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं पर उस स्थिति में लगाया जाएगा, जब वे इन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित किए गए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों/उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उचित समय पर कार्रवाई नहीं करती है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश जारी करेगा।

(9.5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक इन दिशानिर्देशों में निर्धारित बाध्यता से मुक्त नहीं होगा। किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता अगले वर्ष के लिए तीन वर्ष

की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को पश्चातवर्ती के वर्षों के भीतर तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाता है। लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को निम्नानुसार वापस कर दी जाएगी, अर्थात् :-

- (i) इसी लगाने के एक वर्ष के भीतर : 75% रिटर्न
- (ii) दो वर्ष के भीतर 60% रिटर्न
- (iii) तीन वर्ष के भीतर 40% रिटर्न

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के देय होने पर 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात् पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की पूरी रकम अभिग्रहण कर ली जाएगी। यह व्यवस्था पश्चातवर्ती वर्षों में भी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण की अनुमति देगी।

(9.6) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधि का उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के असंग्रहीत और गैर-पुनर्चक्रित या मियाद समाप्ति निपटान के संग्रहण और पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति में उपयोग किया जाएगा, जिस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वार्षिक आधार पर निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की सिफारिश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी और इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

## 10. उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की भूमिका

(10.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।

(10.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य, श्रेणी-वार जहां लागू हो, पर जानकारी युक्त कार्य योजना प्रदान करेगा। यह कार्य योजना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण की अवधि को कवर करेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और कार्य योजना प्रोफॉर्मा इन दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा।

(10.3) खंड 4(iii) के अधीन आने वाला ब्रांड मालिक किसी उत्पादक और/या आयातक से खरीदी गई प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन अलग से प्रदान करेगा। ब्रांड मालिक पर लागू होने वाला खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन आने वाले प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए मात्रा को उत्पादक और आयातक की बाध्यता से घटाया जाएगा। ब्रांड मालिक द्वारा खरीदी गई श्रेणी-वार मात्रा सहित ऐसी खरीद का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा।

(10.4) खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन आने वाले उत्पादक और आयातक खंड 4(iii) के अधीन आने वाले ब्रांड मालिक को उपलब्ध कराई गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। श्रेणीवार विक्रीत मात्रा सहित ऐसे विक्रय का रिकॉर्ड उत्पादक और आयातक द्वारा अलग-अलग रखा जाएगा। यदि ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं, तो उन्हें पूरा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता पूरा करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के बीच संव्यवहार की घोषणा को क्रॉस-चेक करेगा।

(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्याताओं को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट धारा विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक जमा

वापसी प्रणाली या पुनः खरीद (बाय बैक) या कोई अन्य मॉडल जैसी योजना संचालित कर सकता है। यह कदम प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाने से रोकेगा।

(10.6) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून (अप्रैल-विलोपित) तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित प्रोफार्मा के अनुसार संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए एकत्र और प्रसंस्कृत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोग और/या पुनर्चक्रित सामग्री के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण भी दिया जाएगा जिनसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक की खरीद की गई है।

**11. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका (औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं सहित पुनर्चक्रणकर्ता या अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता) :**

(11.1) सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध 13(3) के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन के तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

(11.2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर विहित प्रोफार्मा के अनुसार प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की श्रेणी-वार वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

(11.3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत और उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक की प्लास्टिक अपशिष्ट की कुल मात्रा, वार्षिक आधार पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(11.4) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी झूठी है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे के अधीन संचालन से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(11.5) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग के मामले को छोड़कर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। ऐसे मामले में जहां सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित प्रोफार्मा में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यताओं को पूरा करने के लिए केवल रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(11.6) प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। किसी भी मामले में, उद्यम द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा उद्यम की स्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी। प्रमाण पत्र प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी-वार होंगे और इसमें उद्यम का जीएसटी डेटा सम्मिलित होगा।

(11.7) रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक या स्थानीय अधिकारियों के नाम पर, जैसा लागू हो, सहमत तौर-तरीकों के आधार पर होना चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऐसे प्रमाण पत्र को केंद्रीकृत पोर्टल पर जारी करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(11.8) प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मियाद समाप्ति पर निपटान अर्थात् अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टे (सह प्रसंस्करण) का कार्य करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर वार्षिक आधार पर विहित प्रोफॉर्मा के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे। ये संस्थाएं पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ रीति से नियामक निकायों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, सुसंगत नियमों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करेंगी।

## 12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका

(12.1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दो से अधिक राज्यों में काम कर रहे उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन पीआईबीओ के रजिस्ट्रीकृत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विहित करेगा।

(12.2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही के लिए फीस और विवरणी की कार्यवाही के लिए वार्षिक फीस ले सकता है। ऐसे मामले में, जहां उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की अधिकारिता में काम कर रहे हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रकार तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ आवेदन फीस साझा कर सकता है।

(12.3) रजिस्ट्रीकरण, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा ऑनलाइन पूर्ण आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण की अवधि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार होगी।

(12.4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, जैसा भी उचित समझा जाएगा, के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के अनुपालन का सत्यापन करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवश्यकतानुसार, निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के अनुपालन का सत्यापन भी कर सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काम करने वाले पीआईबीओ के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि आवश्यक हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। (12.5)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक की सूची प्रकाशित करेगा जो अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक वार्षिक आधार पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य और बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।

(12.6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं की पूर्ति में अंतर्वलित पणधारियों के मध्य नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

(12.7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्रित मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगा।

(12.8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेष रूप से खंड 7.6 के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करेगा।

**13. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की भूमिका**

(13.1) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (एक या दो राज्यों में कार्यरत) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, स्वयं या नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के अनुपालन को सत्यापित करती है।

(13.2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, उन संस्थाओं (अपवाद रिपोर्ट) की सूची प्रस्तुत करेगा जिन्होंने वार्षिक आधार पर अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी और उसे ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(13.3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को पूरा करने में अंतर्वर्तित सुसंगत पणधारियों के मध्य नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

(13.4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्र किए गए मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का एक संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगी।

**14. उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली**

(14.1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यताओं को पूरा करते हुए प्लास्टिक की श्रेणी के आधार पर आवश्यकतानुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण के बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। इसमें उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा अपनाए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के आधार पर निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं:

- (क) अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण केन्द्रों और सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित करना;
- (ख) संग्रहण केन्द्रों से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करना, इसमें ऐसी आवृत्ति होनी चाहिए जो आच्छादित किए गए क्षेत्र और मात्रा के अनुपात में है;
- (ग) यूएलबी, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रहण की पेशकश करना, और उन सभी संस्थाओं से संग्रहण के लिए व्यवस्था प्रदान करना जिन्होंने उस प्रस्ताव का उपयोग किया है; संग्रहण और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केन्द्रों से एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पश्चात्कर्ता किसी पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा एक रजिस्ट्रीकृत सुविधा में पुनर्चक्रण के अधीन किया जाता है या सम्मानजनक रीति से इसके अंतिम उपयोग की अनुमति दी जाती है।

(14.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक यह सुनिश्चित करें कि संग्रहण केन्द्रों का नेटवर्क जनसंख्या के आकार, प्लास्टिक या पैकेजिंग अपशिष्ट की अपेक्षित मात्रा, पहुंच और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा जहां संग्रहण और पश्चात् का प्रबंधन लाभदायक है।

(14.3) अपशिष्ट संग्रहण में अंतर्वर्तित संस्थाएं अपशिष्ट को शोधन और पुनर्चक्रण या पहचान किए गए अंतिम उपयोग हेतु सौंप देंगी।

(14.4) स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्रों की भागीदारी - स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्र प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को उनके शोधन और पुनर्चक्रण या उनके पहचाने गए अंतिम उपयोग की दृष्टि से पीआईबीओ या उनकी ओर से कार्य करने वाली तृतीय पक्ष अभिकरणों को सौंप देंगे।

### 15. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दायित्वों की पूर्ति

उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक मियाद समाप्ति के लिए भेजी गई मात्रा के विवरण के साथ केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से प्राप्त पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरण की ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जांच की जाएगी। अंतर के मामले में, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यता को पूरा करने के लिए निचले/कम आंकड़े पर विचार किया जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति, द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे।

### 16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल

(16.1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पादक, आयातक रजिस्ट्रीकरण और ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ तारीख 31 मार्च 2022 तक विवरणियां (त्रैमासिक या वार्षिक) दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तंत्र स्थापित करेगा:-

(16.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ विवरणियां (त्रैमासिक/वार्षिक) दाखिल करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गई ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा ऐसा कार्य तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माता और पीआईबीओ द्वारा बाजार में लाए गए प्लास्टिक पैकेजिंग का सामग्री संतुलन परिलक्षित होता है। यह पीआईबीओ और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं/अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की लेखा परीक्षा के बारे में विवरण भी दिखलाएगा।

(16.3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति भी पीआईबीओ के रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ पुनर्चक्रणकर्ताओं/अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक ही वेब पोर्टल का उपयोग करेंगी। यह वेब पोर्टल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। पीआईबीओ, यदि वे चाहें, तो ऑनलाइन वेब पोर्टल या प्लेटफॉर्म के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(16.3) ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित होने तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को ऑफलाइन रीति से संचालित किया जाएगा।

### 17. निगरानी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादक सम्मिलित हैं) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अधीन गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भी प्रस्तुत की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति के निपटान के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगले वर्ष की 31 जुलाई तक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

### 18. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के लिए समिति

(18.1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों में संशोधन सहित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी। इस समिति को ऑनलाइन पोर्टल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सौंपा जाएगा, जिसमें अपेक्षित प्ररूपों/प्रोफॉर्मों को अनुमोदित देना भी सम्मिलित है।

(18.2) इस समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जैसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट), राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और तीन औद्योगिक संघों, समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किए गए अनुसार कोई भी अन्य आमंत्रित व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

### उपाबंध

#### खंड 7 के उदाहरण

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्य और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर [खंड 7.2 (क), (ख) और (ग), खंड 7.3 (क), (ख) और (ग), और खंड 7.4 (क), (ख) और (ग) देखें]

#### उदाहरण 1 :

वर्ष 2022-23	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
70% की दर से ईपीआर लक्ष्य	70 मीट्रिक टन
ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर की दर से कोई सीमा विहित नहीं है	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए और पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा और ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए उपयोग की गई मात्रा

#### उदाहरण 2 :

वर्ष 2024-25	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
100% की दर से ईपीआर लक्ष्य	100 मीट्रिक टन
ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर 30 प्रतिशत की दर से	ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए कम से कम 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है।  एकत्रित किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 70 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

## उदाहरण 3 :

वर्ष 2028-29	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
100% की दर से ईपीआर लक्ष्य	100 मीट्रिक टन
ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर 60 प्रतिशत की दर से	ईपीआर के अधीन एकत्र किए गए कम से कम 60 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है।  एकत्रित किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 40 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

## पुनः उपयोग

## [खंड 7.4 (ख) का संदर्भ लें]

## उदाहरण 4 :

वर्ष 2025-26 (पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम बाध्यता लागू होती है)	
बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग की मात्रा 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन या आयतन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम	15 मीट्रिक टन (पुनः उपयोग 15% की दर से पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व 10%)
पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (क)	85 मीट्रिक टन

(क) के 100% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य	85 मीट्रिक टन
60% की दर से ईपीआर के अधीन एकत्रित श्रेणी I प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर	ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के न्यूनतम 51 मीट्रिक टन को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है।  एकत्रित किए गए अधिकतम 34 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

**उदाहरण 5 :**

<b>2022-23 के लिए</b>	
बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग की मात्रा या 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन या आयतन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम	10 मीट्रिक टन
पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (क)	90 मीट्रिक टन
(क) के 35% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य	31.5 मीट्रिक टन

**पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग****[खंड 7.2 (घ), 7.3 (घ) का संदर्भ लें]****उदाहरण 6 :**

<b>वर्ष 2025-26</b>	
बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
खण्ड 5.1 के अनुसार ईपीआर लक्ष्य 100% की दर से	100 मीट्रिक टन
पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक की न्यूनतम मात्रा 10% की दर से	पैकेजिंग में 10 मीट्रिक टन प्लास्टिक सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक होना चाहिए। पैकेजिंग में 90 मीट्रिक टन वर्जिन प्लास्टिक सामग्री

[फा. सं. 17/2/2001-पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) सा.का.नि. 320 (अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2018, सा.का.नि. 571 (अ) दिनांक 12 अगस्त 2021 और सा.का.नि. 647 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

**G.S.R. 133(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), for the words “as per guidelines issued under these rules from time to time”, the words “as per guidelines specified in SCHEDULE – II” shall substituted.
3. In the said rules, after SCHEDULE – I, the following Schedule shall be inserted namely:-

**‘SCHEDULE-II***[See Rule 9 (1)]***Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging****1. Background:**

(1.1) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), (hereinafter referred to as ‘The Ministry’), notified the Plastic Waste Management Rules, 2016 on 18<sup>th</sup> March, 2016. The Ministry also notified the Solid Waste Management Rules, 2016 on 8<sup>th</sup> April, 2016. As plastic waste is part of solid waste, therefore, both the rules apply to managing plastic waste in the country.

(1.2) The Plastic Waste Management Rules, 2016, mandate the generators of plastic waste to take steps to minimize generation of plastic waste, not to litter the plastic waste, ensure segregated storage of waste at source and hand over segregated waste in accordance with rules. The rules also mandate the responsibilities of local bodies, gram panchayats, waste generators, retailers and street vendors to manage plastic waste. (1.3) The Plastic Waste Management Rules, 2016 cast Extended Producer Responsibility on Producer, Importer, and Brand Owner. Extended Producer Responsibility shall be applicable to both pre-consumer and post-consumer plastic packaging waste. (1.4) These guidelines provides framework for implementation of Extended Producer Responsibility. The Guidelines provide the roles and responsibilities of Producers, Importers, Brand Owners, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board or Pollution Control Committees, recyclers and waste processors for effective implementation of Extended Producer Responsibility. The definitions given in Plastic Waste Management Rules, 2016, apply until, specifically mentioned in these guidelines;

**2. Date of Coming into Effect:**

These guidelines shall come into force with immediate effect. The on-going processes related to Extended Producer Responsibility obligations will be aligned with these guidelines.

**3. Definitions:**

(a) “**Biodegradable plastics**” means that plastics, other than compostable plastics, which undergoes complete degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, in specified time periods, without leaving any micro plastics, or visible, distinguishable or toxic residue, which have adverse environment impacts, adhering to laid down standards of Bureau of Indian Standards and certified by Central Pollution Control Board.

(b) “**Brand Owner**” means a person or company who sells any commodity under a registered brand label or trade mark;

(c) “**Carry Bags**” (covered under Category II of plastic packaging – Clause (5.1) (II)) means bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use ;

(d) “**End of Life disposal**” means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns) or waste to oil or for road construction as per Indian Road Congress guidelines, etc;

(e) “**Extended Producer Responsibility**” means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;

- (f) **“Importer”** means a person who imports plastic packaging product or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;
- (g) **“Plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, polybutylene terephthalate;
- (h) **“Plastic Packaging”** means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways.
- (i) **“Plastic Sheet”** means plastic sheet is the sheet made of plastic;
- (j) **“Plastic Waste Processors”** means recyclers and entities engaged in using plastic waste for energy (waste to energy), and converting it to oil (waste to oil), industrial composting.
- (k) **“Pre-consumer plastic packaging waste”** means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product.
- (l) **“Post-consumer plastic packaging waste”** means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose.
- (m) **“Producer”** means person engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (n) **“Recyclers”** are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;
- (o) **“Recycling”** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;
- (p) **“Reuse”** means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object's structure;
- (q) **“Use of recycled plastic”** means recycled plastic, instead of virgin plastic, is used as raw material in the manufacturing process;
- (r) **“Waste Management”** means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally sound manner;
- (s) **“Waste to Energy”** means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns).

#### 4. Obligated Entities:

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations and provisions of these guidelines namely: -

- (i) Producer (P) of plastic packaging;
- (ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products;
- (iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.;
- (iv) Plastic Waste Processors

#### 5. Coverage of Extended Producer Responsibility:

(5.1) The following plastic packaging categories are covers under Extended Producer Responsibility:

##### (i) Category I

Rigid plastic packaging;

##### (ii) Category II

Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags, plastic sachet or pouches;

##### (iii) Category III

Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic);

(iv) **Category IV**

Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags made of compostable plastics.

(5.2) The Extended Producer Responsibility Guidelines covers the following with respect to plastic packaging namely: -

- (i) Reuse;
- (ii) Recycling;
- (iii) Use of recycled plastic content;
- (iv) End of life disposal.

**6. Registration:**

(6.1) (a) The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board namely: -

- (i) Producer (P);
- (ii) Importer (I);
- (iii) Brand owner (BO);
- (iv) Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting,

(b) Registration of Producers, Importers & Brand-Owners (operating in one or two states) and Plastic Waste processors shall be done by State Pollution Control Board or Pollution Control Committee through the centralized Extended Producer Responsibility portal developed by Central Pollution Control Board.

(c) After these guidelines have come into effect, with respect to, entities starting their business in a particular year and placing their products in market in that year, they shall have Extended Producer Responsibility target obligations from the next year.

(6.2) The entities covered under clause 6.1 shall not carry any business without registration obtained through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(6.3) The entities covered under clause (6.1) shall not deal with any entity not registered through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(6.4) In case, it is found or determined that any entity registered on the on-line portal has provided false information or has willfully concealed information or there is any irregularity or deviation from the conditions stipulated while obtaining registration under Extended Producer Responsibility guidelines, then the registration of such an entity would be revoked for a one -year period after giving an opportunity to be heard. The entities whose registration has been revoked shall not be able to register afresh for the period of revocation.

(6.5) In case any entity falls in more than one sub-category mentioned in the clause (6.1) then the entity shall register under each of those sub-categories separately. Further, in cases, where the entity has units in different states, in a particular sub-category mentioned in clause 6.1, then these units shall also be registered separately. However, only one registration under a sub category in a state would be needed, even if, more than one unit are located in a state. The registration shall be as per Standard Operating Procedure laid down by Central Pollution Control Board for the purpose, as per these Guidelines.

(6.6) While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number of the company and Aadhar Number and PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.

**7. Targets for Extended Producer Responsibility and obligations of Producers, Importers & Brand-Owners:**

(7.1) The Extended Producer Responsibility targets for the Producers, Importers & Brand-Owners shall be determined category-wise.

**(7.2) Producer (P):**

**(a) Extended Producer Responsibility target (Refer example 1 to 3 in Annexure):**

Eligible Quantity in MT (Q 1) shall be the average weight of plastic packaging material (category-wise) sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging waste in the last two financial years (B) minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial year as under: -

$$Q 1 \text{ (in MT)} = (A + B) -$$

and the Extended Producer Responsibility target shall be determined category-wise , as given below

**Extended Producer Responsibility target**

	Year	Extended Producer Responsibility target (as a percentage of Q1 - category-wise)
<b>I</b>	<b>2021 - 22</b>	<b>25 %</b>
<b>II</b>	<b>2022 - 23</b>	<b>70 %</b>
<b>III</b>	<b>2023 - 24</b>	<b>100 %</b>

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Producer, as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

**(b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure):**

The Producer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility Target, category-wise, as given below namely: -

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste  
(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
<b>Category I</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>Category II</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>Category III</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>Category IV</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

**(c) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure):**

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, cement kilns (for co processing) etc. as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The producers shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in Rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016,

**(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)**

The Producer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below namely: -

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging  
(% of plastic manufactured for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis. However, in such cases, the Producers, Importers & Brand-Owners will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

### 7.3 Importer (I):

#### (a) Extended Producer Responsibility Target (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 2) shall be the average weight of all plastic packaging material and / or plastic packaging of imported products (category-wise) imported and sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years (B) waste minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial years as under: -

$$Q 2 \text{ (in MT)} = (A + B) - C$$

and the Extended Producer Responsibility target shall be determined, category-wise, as given below namely: -

	Year	Extended Producer Responsibility target (as a percentage of Q 2 - category-wise)
<b>I</b>	<b>2021 - 22</b>	<b>25 %</b>
<b>II</b>	<b>2022 - 23</b>	<b>70 %</b>
<b>III</b>	<b>2023 - 24</b>	<b>100 %</b>

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Importer as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

#### (b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure)

The Importer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under extended producer responsibility Target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste  
(% of extended producer responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
<b>Category I</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>
<b>Category II</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>Category III</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>Category IV</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

#### (c) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure)

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The importer shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended.

**(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)**

The Importer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below.

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging  
(% of imported plastic for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

Any recycled plastic used in imported material shall not be counted towards fulfilment of obligation. The importer will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

**7.4 Brand Owner (BO):**

**a) Extended Producer Responsibility target (refer examples 1 to 3 in Annexure)**

Eligible Quantity in MT (Q 3) shall be the average weight of virgin plastic packaging material (category-wise) purchased and introduced in market in the last two financial years (A) plus average quantity of (B) of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years as under: -

$$Q\ 3\ (\text{in MT}) = A + B$$

The Extended Producer Responsibility target shall be determined, category-wise, as given below namely: -

	Year	Extended Producer Responsibility Target (as a percentage of Q3 - category-wise)
<b>I</b>	<b>2021 - 22</b>	<b>25 %</b>
<b>II</b>	<b>2022 - 23</b>	<b>70 %</b>
<b>III</b>	<b>2023 - 24</b>	<b>100 %</b>

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Brand Owner as part of the Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

**(b) Obligation for reuse (refer examples 4 and 5 in Annexure):**

**I.** The Brand Owner using Category I (rigid) plastic packaging for their products shall have minimum obligation to reuse such packaging as given below: -

Provided that the reuse of Category I rigid plastic packaging in food contact applications shall be subject to regulation of Food Safety and Standards Authority of India.

(II) Minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging).

	Year	Target (as percentage of Category I rigid plastic packaging in products sold annually)

A	Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 liter or kg but less than 4.9 litres or kg, as the case may be	
I	2025 – 26	10
II	2026 – 27	15
III	2027-28	20
IV	2028-29 and onwards	25
B	Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg.	
I	2025 – 26	70
II	2026 – 27	75
III	2027-28	80
IV	2028-29 and onwards	85

(III) The quantity of rigid packaging reused by brand Owner shall be calculated by reducing virgin plastic packaging manufactured/imported/purchased in that year from the sales of the Brand Owner. The brand owner shall provide this information on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(IV) The quantity of Category I rigid plastic packaging reused shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I by the obligated entities (Brand Owners).

III. The quantity of Category I rigid plastic packaging reused during the year 2022 – 2023 and 2023-2024, shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I.

**(c) Obligation for recycling (refer examples 1 to 3 in Annexure):**

The Brand Owner shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste  
(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60
Category IV	50	60	70	80

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

**(d) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure)**

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The Brand Owner shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in rule 5 (1) (b) of the Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended.

**(e) Obligation for use of recycled plastic content (refer examples 6 in Annexure)**

(i) The Brand Owner shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging, category-wise, as given below namely:

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of manufactured plastic for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

(ii) In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis. However, in such cases, the Producers, Importers & Brand-Owners will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

(iii) In case, where Brand Owner is also Producer and/or Importer of plastic packaging material, the clause 7.2 and 7.3 shall also apply for determining their Extended Producer Responsibility targets and obligations as Producer and /or Importer, respectively.

(7.5) The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by all Producers, Importers & Brand-Owners as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(7.6) The obligations for reuse, recycling of waste and use of recycled plastic content in packaging shall be reviewed every five years based upon available technologies for meeting the Targets specified.

(7.7) Extended Producer Responsibility on plastic packaging will promote sustainable packaging, as per guidelines prepared by Central Pollution Control Board, inter alia based on the following criteria,

(i) package designing promoting reuse;

(ii) package designing amenable for recycling;

(iii) recycled plastic content in plastic packaging material and; (iv) package designing for environment.

(7.8) In case, the obligated entity utilizes plastic packaging which is 100% biodegradable in the ambient environment leaving no traces of micro plastics or chemical residue or any other traces having adverse environmental and health impacts as certified by regulatory entities Central Pollution Control Board, Bureau of Indian Standards, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology, the Extended Producer Responsibility target will not be applicable for such material.

### **8. Generation of surplus Extended Producer Responsibility certificates, carry forward and offsetting against previous year Extended Producer Responsibility targets and obligations, and sale and purchase of surplus Extended Producer Responsibility certificates:**

(8.1) A Brand Owner who has fulfilled their Extended Producer Responsibility targets, category-wise, can use the surplus for the following namely: -

(i) Off setting previous year shortfall subject to clause 9.5;

(ii) Carry forward for use in succeeding year;

(iii) Sell it to other Producers, Importers & Brand-Owners.

(8.2) Surplus in one category can only be used for off-setting, carry forward and sale in the same category. A surplus under reuse can be used for against reuse, recycling and also end of life disposal. A surplus under recycling can be used for recycling and end of life disposal. A surplus under end of life disposal cannot be used for reuse or recycle.

(8.3) Producers, Importers & Brand-Owners can also meet their Extended Producer Responsibility obligations under a category by purchasing surplus Extended Producer Responsibility certificates from other Producers, Importers & Brand-Owners of the same category.

(8.4) Such transactions shall be recorded and submitted by the Producers, Importers & Brand-Owners on the online portal while filing annual returns under the Extended Producer Responsibility framework. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized portal.

### **9. Imposition of Environmental Compensation:**

(9.1) Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, with respect to non-fulfilment of Extended Producer Responsibility targets by Producers, Importers &

Brand Owners, for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution .

(9.2) Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on Producers, Importers & Brand-Owners, recyclers and end of life processors, in case of non-fulfilment of obligations set out in these guidelines, and the same shall be notified. The Guidelines for Environmental Compensation shall be updated, as required.

(9.3) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by Central Pollution Control Board on the Producers, Importers & Brand-Owners operating in more than two states with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets, responsibilities and obligations in these guidelines.

(9.4) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by respective State Pollution Control Board on the Producers, Importers & Brand-Owners operating in their jurisdiction (for Producers, Importers & Brand-Owners not operating in more than two states/Union Territory's), Plastic Waste Processors which includes recyclers and other waste processors – waste to energy, waste to oil, co-processors, with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets or responsibilities and obligations set out under these guidelines. In case, the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee does not take action in reasonable time, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board /Pollution Control Committee.

(9.5) Payment of environmental compensation shall not absolve the Producers, Importers & Brand-Owners of the obligations set out in these guidelines. The unfulfilled Extended Producer Responsibility obligations for a particular year will be carried forward to the next year for a period of three years. In case, the shortfall of Extended Producer Responsibility obligation is addressed within three years. The environmental compensation levied shall be returned to the Producers, Importers & Brand-Owners as given below, namely

- (i) Within one year of levying of EC: 75% return;
- (ii) Within two years 60% return;
- (iii) Within three years 40% return,

After completion of three years on environmental compensation getting due the entire environmental compensation amount shall be forfeited. This arrangement shall allow for collection and recycling of plastic packaging waste by Producers, Importers & Brand-Owners in later years as well.

(9.6) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee. The funds collected shall be utilized in collection, recycling and end of life disposal of uncollected and non-recycled or non- end of life disposal of plastic packaging waste, on which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for plastic waste management on an annual basis would be recommended by the Committee for Extended Producer Responsibility implementation and approved by the Competent Authority in the Ministry.

#### **10. Role of Producers, Importers & Brand-Owners:**

(10.1) The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to register through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board. The certificate of registration shall be issued using the portal.

(10.2) Producers, Importers & Brand-Owners shall provide Action Plan containing information on the Extended Producer Responsibility Target, category-wise, where applicable, through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board, along with application for registration or renewal of registration under Plastic Waste Management Rules, 2016. The Action Plan shall cover tenure of the Registration as per the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016. The standard operating procedure for registration and the action plan pro forma shall be developed by Central Pollution Control Board as per these guidelines.

(10.3) Brand Owner covered under clause 4 (iii) shall provide details of plastic packaging purchased from Producers and/or Importers covered under clause 4 (i) and 4 (ii) separately. The quantities attributed to each Producer and Importer covered under clause 4 (i) and 4 (ii) obligated upon Brand Owner shall be deducted from the obligation of Producers and Importers. The record of such purchase including category-wise quantity purchased, shall be maintained separately by Brand Owner.

(10.4) The Producers and Importers covered under clauses 4 (i) and 4 (ii) will maintain the record of the quantity of plastic packaging material made available to Brand Owner covered under clause 4 (iii). The record of such sale including category-wise quantity sold, will be maintained separately by Producers and Importers. In case such records are not maintained, they will have to fulfil the complete Extended Producer Responsibility obligation. The online platform shall cross-check the declaration of transactions among Producers, Importers & Brand-Owners.

(10.5) In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producers, Importers & Brand-Owners may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.

(10.6) The Producers, Importers & Brand-Owners shall file annual returns on the plastic packaging waste collected and processed towards fulfilling obligations under Extended Producer Responsibility with the Central Pollution Control Board or concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as per pro forma prescribed by Central Pollution Control Board by the 30<sup>th</sup> June of the next financial year. Information on the reuse and/or recycled content used for packaging purposes will also be provided. The details of the registered recyclers from whom the recycled plastic has been procured will also be provided.

### **11. Role of Plastic Waste Processors (Recyclers or Other Waste Processors including industrial composting facilities)**

(11.1) All plastic waste processors shall have to register with concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in accordance with provision 13(3) of Plastic Waste Management Rules, 2016 on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board shall lay down uniform procedure for registration within three months of the publication of these guidelines.

(11.2) The Plastic waste processors shall submit annual returns after end of every financial year by 30th April of the next financial year on the quantity of plastic waste processed category-wise as per prescribed pro forma on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(11.3) The total quantity of plastic waste processed by plastic waste processors and attributed to Producers, Importers & Brand-Owners, on an annual basis, will be made available on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board as also on the website of Plastic waste processors.

(11.4) In case, at any stage it is found that the information provided by the plastic waste processor is false, the plastic waste processor shall be debarred by State Pollution Control Board, as per procedure laid down by Central Pollution Control Board, from operating under the Extended Producer Responsibility framework for a period of one year.

(11.5) Only plastic waste processors registered under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, shall provide certificates for plastic waste processing, except in case of use of plastic waste in road construction. In case where plastic waste is used in road construction the Producers, Importers & Brand-Owners shall provide a self-declaration certificate in pro forma developed by Central Pollution Control Board. The certificate provided by only registered plastic waste processors shall be considered for fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations by Producers, Importers & Brand-Owners.

(11.6) The pro forma for the certificate shall be developed by Central Pollution Control Board. In no case, the amount of plastic packaging waste recycled by the enterprise shall be more than installed capacity of the enterprise. The certificates will be for plastic packaging category-wise and shall include GST data of the enterprise.

(11.7) The certificate for plastic packaging waste provided by registered plastic waste processors shall be in the name of registered Producers, Importers & Brand-Owners or Local authorities, as applicable, based upon agreed modalities. Central Pollution Control Board will develop mechanism for issuance of such certificate on the centralized portal.

(11.8) The Plastic Waste Processors undertaking end-of-life disposal of plastic packaging waste viz. waste to energy, waste to oil, cement kilns (co processing) shall provide information on an annual basis as per prescribed pro forma, on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board. These entities shall ensure the disposal of plastic packaging waste as per relevant rules, guidelines framed by regulatory bodies in an environmentally sound manner.

### **12. Role of Central Pollution Control Board**

(12.1) The Central Pollution Control Board shall register Producers, Importers & Brand-Owners who are operating in more than two states and plastic waste processors, through online portal. Central Pollution Control Board shall prescribe the standard operating procedure for registration of Producers, Importers & Brand-Owners under Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12.2) The Central Pollution Control Board may charge fee for processing of applications for registration and an annual fee for processing of returns, as per procedure prescribed by CPCB. In case, where Producers, Importers & Brand-Owners, are operating in the jurisdiction of a State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, the Central Pollution Control Board as per guidelines so decided, will share the application fee with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

(12.3) The registration shall be done within two weeks from the submission of a complete application online by the Producers, Importers & Brand-Owners. The tenure of registration shall be as per Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12.4) Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers, Importers & Brand-Owners through inspection and periodic audit, as deemed appropriate. Central Pollution Control

Board, as required, can also verify compliance of Plastic Waste Processors through inspection and periodic audit. In case of plastic waste processors and Producers, Importers & Brand-Owners operating in a State or Union Territory, Central Pollution Control Board may, if required, direct State Pollution Control Board or Pollution Control Committee to take action.

(12.5) Central Pollution Control Board shall publish the list of Producers, Importers & Brand-Owners who have failed to meet Extended Producer Responsibility targets and obligations in the previous financial year, on an annual basis, by 30<sup>th</sup> September of the next financial year.

(12.6) The Central Pollution Control Board will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations for plastics under the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(12.7) The Central Pollution Control Board shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis.

(12.8) The Central Pollution Control Board shall carry out review of technologies related to plastic packaging and plastic waste management for techno-economic viability and feasibility specifically with respect to clause 7.6.

### **13. Role of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee:**

(13.1) The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall register Producers, Importers & Brand-Owners (operating in one or two states) and plastic waste processors, through the online portal developed by Central Pollution Control Board. Provision for registration shall be made on the Extended Producer Responsibility portal. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers, Importers & Brand-Owners through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, of Producers, Importers & Brand-Owners as well as plastic waste processors in their jurisdiction as per the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(13.2) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall bring out a list of entities (Exception Report) who have not fulfilled their Extended Producer Responsibility responsibilities on annual basis and publish the same on their website. The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit the Annual Reports submitted by Producers, Importers & Brand-Owners and plastic waste processors in their jurisdiction to Central Pollution Control Board and upload the same on the online Extended Producer Responsibility portal.

(13.3) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations under the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(13.4) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis.

### **14. Plastic Packaging Waste Collection System by Producers, Importers & Brand-Owners**

(14.1) Producers, Importers & Brand-Owners while fulfilling their Extended Producer Responsibility obligations may develop collection and segregation infrastructure of plastic packaging waste, as required, based on the category of plastics. It may include the following based on implementation modality of Extended Producer Responsibility adopted by Producers, Importers & Brand-Owners: -(a) establish waste plastic collection points and Material Recovery Facilities (MRFs);

(b) ensure the collection of the plastic packaging waste from the collection points, with a frequency that is proportionate to the area covered and the volume;

(c) offer the collection of plastic, from the entities like urban local bodies, gram panchayats, other public authorities or third parties carrying out waste management, and provide for the collection from all entities that have made use of that offer; provide for the necessary practical arrangements for collection and transport;

(d) ensure that the plastic packaging waste collected from the collection points are subsequently subject to recycling in a registered facility by a recycler or its permitted end use in the designated manner.

(14.2) Producers, Importers & Brand-Owners may ensure the network of collection points taking into account population size, expected volume of plastic or packaging waste, accessibility and vicinity to end-users, not being limited to areas where the collection and subsequent management is profitable.

(14.3) The entities involved in waste collection will hand over the waste for treatment and recycling or for identified end uses.

(14.4) Participation of voluntary collection points - voluntary collection points will hand over plastic packaging waste to the Producers, Importers & Brand-Owners or third party agencies acting on their behalf with a view to their treatment and recycling or their identified end use.

### 15. Fulfilment of Extended Producer Responsibility Obligations

The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to provide the details of recycling certificate only from registered recyclers along with the details of quantity sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the online portal. The details provided by Producers, Importers & Brand-Owners and registered plastic waste processors will be cross-checked by the online portal. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of Extended Producer Responsibility obligation of Producers, Importers & Brand-Owners. The certificates shall be subject to verification by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be.

### 16. Centralized Online Portal

(16.1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration as well as for filing of annual returns by Producers, Importers & Brand-Owners, plastic waste processors of plastic packaging waste by 31<sup>st</sup> March 2022:-

(16.2) The online system developed by Central Pollution Control Board for the registration as well as for filing of returns by Producers, Importers & Brand-Owners shall reflect the plastic packaging material introduced in the market Producers, Importers & Brand-Owners in a financial year. It shall also reflect the details regarding the audit of the Producers, Importers & Brand-Owners as well as recyclers or other waste processors of plastic packaging waste.

(16.3) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall also use the centralized portal developed by Central Pollution Control Board for registration of Producers, Importers & Brand-Owners as well as recyclers/waste processors. The centralized portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of Extended Producer Responsibility for plastic packaging under Plastic Waste Management Rule, 2016 Producers, Importers & Brand-Owners may, if they so desire, facilitate the development of online web portal or platform.

(16.3) Till the online web portal is developed all activities related to implementation of Extended Producer Responsibility under the Plastic Waste Management Rules, 2016 will be done in an offline manner.

### 17. Monitoring

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit annual report on Extended Producer Responsibility portal with respect to fulfilment of Extended Producer Responsibility by Producers, Importers & Brand-Owners (which include manufacturers of plastic packaging material) and plastic waste processors in the State/Union Territory to Central Pollution Control Board. The report shall also be submitted to the State Level Monitoring Committee constituted under the Plastic Waste Management Rules, 2016. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall also submit annual report with respect to recyclers or end of life disposal in the State or Union Territory to Central Pollution Control Board by 31<sup>st</sup> July of the next year.

### 18. Committee for Extended Producer Responsibility under PWM Rules

(18.1) A committee shall be constituted by the Central Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of Extended Producer Responsibility including amendments to Extended Producer Responsibility guidelines. The committee shall monitor the implementations of Extended Producer Responsibility and also take such measures as required for removal of difficulties. The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the online portal including approval of requisite forms or pro forma.

(18.2) The committee shall comprise of representative from concerned line Ministries/Departments such as Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Department of Drinking Water and Sanitation, Department of Chemical and Petrochemicals; Bureau of Indian Standards, three State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET), National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), and three industry associations, and any other invitee as decided by the chairperson of the committee.

## ANNEXURE

### Examples for Clause 7

#### Extended Producer Responsibility Target and Minimum level of recycling of plastic packaging waste

[Refer Clause 7.2 (a), (b) & (c), Clause 7.3 (a), (b) & (c), and Clause 7.4 (a), (b) & (c)]

*Example 1:*

<b>Year 2022-23</b>	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 70 %	70 MT
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility - no threshold has been prescribed	Quantity of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility and recycled as per actuals  Quantity of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility and used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. as per actuals

**Example 2:**

<b>Year 2024-25</b>	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 100 %	100 MT
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 30%	Minimum 30 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled.  Remaining plastic packaging waste collected (Maximum 70 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.

**Example 3:**

<b>Year 2028-29</b>	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 100 %	100 MT
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 60 %	Minimum 60 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled.  Remaining plastic packaging waste collected (Maximum 40 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.

**Reuse****[Refer Clause 7.4 (b)]****Example 4:**

<b>Year 2025 – 26 (Minimum obligation for reuse comes into effect)</b>	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)	100 MT
Reuse of Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litres or	15 MT

kilogrammes bUnion Territory less than 4.9 litres or kilogrammes	(Reuse @ 15 %; minimum obligation for reuse 10 %)
Fresh plastic packaging introduced (A)	85 MT
Extended Producer Responsibility target for compliance @ 100% of (A)	85 MT
Minimum level of recycling of Category I plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 60%	Minimum 51 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled. A maximum of 34 MT plastic packaging waste collected may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.

**Example 5:**

<b>For Year 2022 - 23</b>	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)	100 MT
Reuse of Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litres or kilogrammes bUnion Territory less than 4.9 litres or kilogrammes	10 MT
Fresh plastic packaging introduced (A)	90 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 35 % of (A)	31.5 MT

**Use of recycled plastic content****[Refer Clause 7.2 (d), 7.3 (d)]****Example 6:**

<b>Year 2025-26</b>	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target as per clause 5.1 @ 100 %	100 MT
Minimum content of recycled plastic in packaging @ 10%	10 MT of plastic content in the packaging should be recycled plastic 90 MT of virgin plastic content in packaging

[F. No. 17/2/2001 – Part I - HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 320 (E) dated the 18<sup>th</sup> March, 2016 and subsequently amended *vide notification numbers G.S.R 285 (E) dated the 27<sup>th</sup> March, 2018, G.S.R. 571 (E) dated the 12<sup>th</sup> August, 2021 and G.S.R. 647 (E) dated the 17<sup>th</sup> September, 2021.*

**F. No. HSM-17/1/2023-HSM**

**Government of India**

**Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Hazardous Substances Management Division**

6<sup>th</sup> floor, Jal wing  
Indira Paryavaran Bhawan  
Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003

Date: 3<sup>rd</sup> February 2023

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Applicability of thickness restriction on shrink film, cling film, stretch film- under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended- Reg.**

This has reference to applicability of thickness restriction on shrink film, cling film and stretch film under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended. Rule 4 (d) of the Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, stipulate restriction on thickness of plastic sheet or like or cover made of plastic sheet.

2. The following is clarified:

(i) The use of plastic sheet or like, which is not part of multi-layered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than 50 microns in thickness, in an independent manner, inter-alia including shrink film, cling film and stretch film, which shall not have thickness less than 50 microns, until an exemption is specified, by the Central Government, based upon recommendation on CPCB, that the thickness of such plastic sheets impair the functionality of the product,

(ii) Further, as per rules, only in cases where, plastic sheet or like, is integral part of multi layer packaging (made from different materials or made from different type of plastics) the thickness restriction shall not apply. However, in such cases, the use of plastic sheet has to be accounted for in production of plastic packaging, through EPR registration of producers of plastic packaging/converters, as EPR Guidelines.

(iii) As EPR target is on weight basis, while registering for EPR of multilayered plastic packaging, in which plastic sheet or like, is a part, the complete weight of multilayered plastic packaging will covered under EPR.

3. It is requested that the above information is shared with all SPCBs/PCCs.
4. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

  
**Dr. Satyendra Kumar**  
Director, HSMD  
Ph: 20819291

Email: [satyendra.kumar07@nic.in](mailto:satyendra.kumar07@nic.in)

To,  
The Chairman, Central Pollution Control Board,  
Parivesh Bhawan, CBD-cum-Office,  
East Arjun Nagar, New Delhi- 110 032

Copy for kind information:

1. PPS to Secretary, EFCC
2. PPS to AS (NPG)



## Registration of PIBO /PWP as per EPR Guidelines Notified by MoEF&CC

### FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

#### 1. What is Extended Producer Responsibility (EPR)

EPR means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life.

#### 2. Have EPR Guidelines been notified by Government?

Yes. MoEF&CC vide Fourth Amendment to Plastic Waste Management Rules 2016 notified EPR Guideline on February 16, 2022

#### 3. Which entities shall register on the centralized portal developed by CPCB?

The following entities shall register on the centralized portal developed by CPCB:

I. Producer (P)

II. Importer (I)

III. Brand owner (BO)

IV. Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (d) industrial composting.

#### 4. What assistance is provided for filling of application?

- AI Chat bot has been provided at right side of the login and sign up page of the portal.
- Helpline no. : 011- 43102469
- i-button with assisting provided in specific sections
- Standard Operating Procedure uploaded on website'
- Instruction sheet for filing of application uploaded on website

#### 5. Which PIBOs are required to register with SPCB/PCC

PIBOs which are operational in one or two states/UTs are required to register with the concerned with SPCB/PCC

#### 6. Which PIBOs are required to register with CPCB

PIBOs which are operational in more than two states/UTs are required to register with CPCB.

**Note: Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India**

*For details Section 3 & 4 of aforementioned EPR Guidelines may be referred to*

**7. What are the documents required for KYC for registration of PIBOs?**

- i. PDF copy of Company's PAN, CIN & GST (the combined copies of GST invoices in all the States/UTs where the PIBO is operating).
- ii. PDF copy of Authorized person's PAN & Aadhar.

**Note: Proprietorship and partnership firms shall provide PAN and GST number for registration on EPR portal. CIN number is applicable for the companies registered with Ministry of Corporate Affairs.**

**8. Which are the plastic packaging categories covered under EPR?**

The following plastic packaging categories are covered under EPR:

**Category I** : Rigid plastic packaging

**Category II** : Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags, plastic sachet or pouches

**Category III** : Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic)

**Category IV** : Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags made of compostable plastics

*For details please refer EPR Guidelines ( Section 5)*

**9. What is Pre-consumer plastic packaging waste?**

Pre-consumer plastic packaging waste” means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product.

**10. What is Post-consumer plastic packaging waste?**

“**Post-consumer plastic packaging waste**” means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose.

**11. What is EPR target for Producers & Importers?**

EPR target is the plastic waste which is introduced in the market by the PIBO . Details given in section 7 of the EPR Guidelines may be referred to.

**12. Whether all PIBOs are required to submit Consent granted under Air &Water Act**

All producers are required to submit the consents issued to their production facilities. Brand-owners having their own production facilities are required to submit the consents.

**13. How much application fees / annual processing/ renewal fees to be paid for Registration of PIBOs/ PWP**

The details of fees to be paid by PIBO/ PWP is as given below:

a. **Application fees for Registration of PIBOs**

SI. No.	PW Generation Slab ( TPA )	Proposed Processing Fees (Rs.) #
1	<1000	10000
2	1000-10000	20000
3	>10000	50000

b. **Application fees for Registration of PWP**

SI. No.	Production capacity Slab ( TPA )	Proposed Processing Fees (Rs.) *
1	< 200	5000
2	200-2000	20000
3	>2000	50000

c. **Renewal fees** : Same as Registration fees

d. **Annual Processing Fees**: 25% of Application fees ( for PIBOs as well as PWP)

**14. Our entity collects plastic waste; do we need to register as PWP?**

Only entities engaged in plastic waste processing (recycling, co-processing, waste to energy, waste to oil ) have to be registered as PWP.

**15. What if PIBO has inhouse recycling unit for their packaging plastic?**

PIBO will have to register as PIBO and as Recycler both with relevant documentation. Credits can only be issued to recyclers and transaction of credits to PIBO shall be documented.

**16. What are the documents required to register on the centralized portal, if entity falls in more than one sub category?**

- Different email id is required to register in each category.
- Company KYC (Company's PAN, GST & CIN) documents shall be same for each category.

**17. What shall be proportion of plastic waste in Municipal Solid Waste (MSW) in case of co-processing and incineration of plastic waste at Co-processing and Waste to Energy plant?**

Equivalent quantity of plastic shall be considered for generation of EPR Certificates. Characterization of waste may be carried out to determine the actual plastic quantity. As per report titled "Assessment & Characteristics of Plastic Waste generated in 60 cities", published by CPCB, average plastic waste generation is around 6.92% of MSW. In absence of actual characterization, this average plastic percentage shall be considered for the purpose.

**18. What shall be proceedings in case of rejection of application?**

- If entity is operating in one State/UT or more than two states/UTs: The applicant has to apply for fresh application on the portal with same login credential and repay the applications fees as per SOP.
- If entity is operating in two States/UTs: The applicant has to apply for fresh application on the portal with same login credential and repay the applications fees as per SOP. In case application is rejected by one or both State/UTs.

**19. What shall be liabilities of producer/importer in case concerned Brand owners are currently not registered on the centralized EPR portal?**

The producer/importer may register on the said portal and their liabilities for fulfilling of EPR target to be adjusted during filling of Annual report on the portal if the concerned Brand owners are currently not registered on the centralized EPR portal.

**20. What shall be EPR liabilities of any entity if its falls under the category of brand owner as well as importer?**

The entity first has to register as a brand owner and provide the entire details in terms of plastic waste generation included imported plastic by the firm. After registration as brand

owner the entity shall register as importer, provide details of imported plastics and the imported material sold to the said brand owner. Therefore zero liabilities has to be fulfilled by the firm as importer.

**21. What material is to be considered for EPR in case of MLP (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic)?**

As per OM dated 03-02-2023 published by MoEF&CC, "EPR target is on weight basis, while registering for EPR of multi-layered plastic packaging, in which plastic sheet or like, is a part, the complete weight of multi-layered plastic packaging will be covered under EPR".

**22. What is the EPR liability associated with third party manufacturer of products?**

If the third party does not have a brand name associated with them, the EPR liabilities are to be taken by the concerned Brand Owners/Producers to whom the product is being sold.

**23. What is the definition of "Operations" for PIBOs ?**

Operation means selling of plastic packaging product or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like into the Indian Market.

**24. What is the definition of "Raw material" for Brand owners, Producer & Importer?**

Raw material for Brand owner and importer is plastic packaging of products or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like. Further, raw material for Producer is resin/granules being used to manufacture carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like.

**25. Do PIBOs who have obtained a valid CPCB/SPCB/PCC registration also need to apply on the Centralized EPR Portal?**

All the PIBOs need to apply on the Centralized EPR portal with necessary application fee.

**26. Are units engaged in export exempted from fulfilling EPR Obligations?**

Yes. Export oriented units are exempted from fulfilling EPR obligations

**27. Which category of PIBOs are exempted from fulfilling EPR obligation?**

The Micro & Small category of Brandowners are exempted from fulfilling EPR obligation. Remaining all entities are required to be registered on Centralized EPR portal in line with notified EPR Guidelines

**29. We do not import plastic packaging but products with plastic packaging so what information should we submit under 8 (a) and 8 (b)?**

Details of plastic packaging which is imported along with the product is to be given in this section